2.0 इकाई का परिचय

एक विशिष्ट संबंध जिसे लोग आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में सापेक्षतः बराबरी का दर्जा देते हैं और अधिकार व विशेषाधिकार जो वह प्रदान करता है तथा कर्तव्य व बाध्यताएँ जो उससे जन्म लेती है, पर अतीत में ध्यान दिया गया है और अनेक समाजों में उसे अभिव्यक्ति दी गई है। नागरिकता इस प्रकार के संबंध में अभिव्यक्त एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता से इंगित करती है। इस प्रकार का संबंध प्रायः आमतौर पर अन्य सामाजिक संबंधों और खासतौर पर, सार्वजनिक जीवन को गहराई से अंकित करता है। आज, हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है और वहाँ पर भी जहाँ नागरिकता के प्रावधान होते हैं, अगर कोई वहाँ का नागरिक न हो। गत वर्षों में सामाजिक विज्ञान में नागरिकता पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई थी। परन्तु अन्तिम डेढ़ दशक में नागरिकता सामाजिक विज्ञान में साहित्य में नियामक प्रयोजन एवं सामाजिक घटना दोनों के रूप में अचानक मुख्य प्रकरण के रूप में उभरी है।

अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है, जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अधिकार उन बातों का द्योतक है, जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करते हैं और जीवन में सूझ–बूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है।

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितान्त आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतन्त्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतन्त्रता के वातावरण में ही सम्भव है। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता के अलग–अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतन्त्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता का अर्थ प्राचीन परम्पराओं एवं बन्धनों से मुक्त होने से लेते हैं, आध्यात्मिक संत स्वतन्त्रता को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं। अतः स्वतन्त्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है, जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएँ प्राप्त हों।

स्वतन्त्रता और समानता आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श है। फ्रांसीसी क्रांति के तीन आदर्श थे – स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने आधुनिक चिंतन की दिशा में प्ररेणा शक्ति का काम किया। समानता या विषमता की समस्या आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की मुख्य समस्या रही है परन्तु समानता और विषमता के मानदंड प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं।

राजनीतिक व्यवहार व सिद्धान्त में न्याय केन्द्रीय महत्व का है। सरकार के कानूनों, सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक निर्णयों का समर्थन करने अथवा विरोध करने में, न्याय की इच्छा से ही प्रतिवेदन किए जाते हैं। न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है, जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारम्भ से ही विचार होता रहा है।

2.1 इकाई के उद्देश्य

- नागरिकता के अर्थ एवं परिभाषा को जानना।
- नागरिकता प्राप्ति की नीतियों को समझना।
- अधिकार सम्बन्धी धारणाओं को जानना।
- राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता को समझना।
- न्याय सम्बन्धी विचारों को जानना।

2.2 नागरिकता

(Citizenship)

2.2.1 परिचय

नागरिकता को सामान्य तौर पर व्यक्ति–समूह व राज्य के बीच संबंध के संदर्भ में समझा जाता है। इस संबंध को पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के कुछ रूप में समझा जाता है। नागरिकता की सर्वाधिक सामान्य रूप से मान्य परिभाषा अंग्रेज समाजशास्त्री टी०एच० मार्शल ने दी है, जो इसकी 'एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता' के रूप में व्याख्या करते हैं। नागरिकता इस परिभाषा के अनुसार, एक राजनीतिक समुदाय में सदस्यता को इंगित करती है, जो कि हमारे वर्तमान संदर्भ में राष्ट्र–राज्य ही है। नागरिकता, तदनुसार, उन लोगों के बीच संबंध के एक विशिष्ट पहलू को इंगित करेगी जो किसी राष्ट्र में एक साथ रहते हैं। यह किसी सांस्कृतिक/भावनात्मक पहचान की बजाय समुदाय के भीतर राजनीतिक निष्ठा एवं नागरिक निष्ठाओं पर जोर देती है।

2.2.2 उद्देश्य

- नागरिकता का व्यापक व विस्तृत अर्थ को जानना।
- नागरिक के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को समझना।
- भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम को जानना।
- नागरिकता संबंधित प्रचलित सिद्धान्तों को समझना।
- नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जाँचना।

2.2.3 नागरिक का अर्थ
(Meaning of Citizen)

नागरिक (Citizen) का शाब्दिक अर्थ है, ''नगर में रहने वाला'' इसके अनुसार नागरिक केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो नगर में रहता हो और गाँव में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। परन्तु वर्तमान समय में नागरिक का यह शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि इसका व्यापक और विस्तृत अर्थ लिया जाता है।

प्राचीन काल में जो व्यक्ति नगर में रहता हो, उसे नागरिक माना जाता था, परन्तु आज यह धारणा उचित नहीं मानी जाती। यूनानी उस व्यक्ति को नागरिक मानते थे, जो राज्य के राजनीतिक कार्यों में भाग लेता हो। अरस्तू (Aristotle) के अनुसार, ''नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के वैधानिक और अदालती प्रबन्ध में भाग लेता है।'' (''A citizen is a person who has the power to take part in the logilative and judicial administration of the state.'')

अरस्तू द्वारा दी गई परिभाषा वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों पर लागू नहीं होती है। क्योंकि आज राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य प्रबन्ध में भाग देना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव भी है।

आज नागरिक प्रत्येक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो और राज्य का सदस्य होने के कारण वह कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार भोग रहा हो और इसके विकल्प में राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का भुगतान करता हो।

2.2.4 नागरिक की परिभाषा (Definition of Citizen)

भिन्न–भिन्न विद्वानों द्वारा दी गई नागरिक की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. वैटल (Vettal) के अनुसार ''नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो समाज के साथ कुछ कर्त्तव्यों के कारण प्रतिबद्ध रहते हैं, इसकी शक्ति के अधीन रहते हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में बराबर के भागीदार होते हैं।'' (''Citizens are the members of a civic society bound to this society bound to this society by certain duties subject to its authority and equal participants is its advantages.")
2. मिलर (Miller) के विचारानुसार ''नागरिक एक सम्बन्धित राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं। वह ऐसे व्यक्ति है जो राज्य की स्थापनाप करते हैं और जो व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की शक्ति के अधीन रहते हैं।'' (''Citizents are the members of political community to which thhey belongs. They are people who compose that state and who in their associate capacity here establility to which they belong. They are people who compose the state and who in their associate capacity here established or subjected themseleve to the dominion of Government for the protection of the individual and collective rights.")
3. ए०के० सिऊ (A.K. Siu) के अनुसार ''नागरिक वह है जो राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो जिस को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जनसेवा की भावना से प्रभावित होता हो।'' ("One who owes allegiance to the state has access to the civil and political rights and is inspired with a spirit of service to the community.")
4. श्री निवास शास्त्री (Sriniwas Shastri) के कथनानुसार ''नागरिक राज्य का वह सदस्य है जो राज्य में रहकर अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण प्रगति के लिए प्रयत्न करता है और जिसको इस बात का अनुभव होता है कि समाज की अधिक नैतिक भलाई के लिए क्या करना आवश्यक है।'' ("A Citizne may be defined as one who is a member of a state and tries to fulfil and realise himself fully within it, along with intelligent appreciation of what should be alone to the highest moral welfare of the community.")

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम देखते हैं कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी राज्य का सदस्य है, राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो, अधिकार भोगता है और बदले में कर्तव्यों का भुगतान करता है, नागरिक कहे जाने का अधिकारी है।

2.2.5 नागरिक की विशेषताएँ (Characteristic of Citizen)

नागरिक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

1. **राज्य का सदस्य (Member of State)** नागरिक के लिए किसी राज्य का सदस्य होना आवश्यक है।

2. **राज्य के प्रति वफादारी (Loyality towards the state)** नागरिक राज्य के प्रति वफादारी की भावना रखता है।

3. **अधिकार भोगना (Enjoyment of Rights)** नागरिक राज्य का सदस्य होने के कारण राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को भोगता है।

4. **कर्तव्यों का भुगतान (Owes Duties)** नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्यों का भुगतान भी करता है।

5. **समाज सेवा (Social Services)** श्री निवास शास्त्री के अनुसार नागरिक में समाज सेवा की भावना का होना आवश्यक है।

2.2.6 नागरिक के प्रकार

(Kinds of Citizen)

नागरिक दो प्रकार के होते हैंः–

1. **जन्मजात नागरिक (Natural Born Citizen)** – वह नागरिक जो जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकारी होतें हैं जिसका आधार खून सम्बन्ध (Blood Relation) अथवा जन्म स्थान (Place of Birth) होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम जन्मजात नागरिक (Natural Born Citizen) कहते हैं।

2. **राज्य अधिकृत नागरिक** (Naturalised Citizen) – वह नागरिक जो जन्म के आधार पर तो किसी और राष्ट्र के नागरिक होते हैं परन्तु स्वेच्छानुसार कुछ शर्तें पूरी करने के पश्चात् अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं।

2.2.7 नागरिकता

(Citizenship)

एक नागरिक को राज्य का सदस्य होने के नाते जो पद (Status) प्राप्त होता है, उसे नागरिकता (Citizenship) कहते हैं। नागरिक राज्य द्वारा दिये गये सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है और उसके प्रति कर्तव्य का पालन करता है।

कई विद्वानों द्वारा नागरिकता की भिन्न–भिन्न परिभाषाएँ दी गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार हैः–

1. गैटल (Gettell) के अनुसार ''नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है।'' ("Citizenship is that condition of individual due to which he can use national and political rights in his state and is ready to fulfill obligations.")

2. लास्की (Laski) के अनुसार ''अपनी बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।'' ("Citizenship is the constitution of one's instructed judgement to public good.")

3. बायर्ड (Buyard) के अनुसार, ''नागरिकता अपनी वफादारी को ठीक निभाना है।'' ("Citizenship consists in the right ordering of loyalities.")

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नागरिकता राज्य के नागरिक का वह पद (Status) हैं, जिसके कारण राज्य की ओर से उसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

2.2.8 नागरिकता की प्राप्ति (Acquisition of Citizenship)

नागरिकता निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं जो कि इस प्रकार हैः–

जन्मजात नागरिकता (Nutral Born Citizenship)

एक बच्चे (Child) को अपने जन्म से ही एक राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह जन्मजात नागरिकता कहलाती है यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैः–

रक्त के आधार पर (By Blood)

इस आधार पर बच्चे (Child) को अपने माता–पिता के राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। बच्चे का जन्म भले ही कहीं हो, वह उसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जिसके उसके माता–पिता है। यदि कोई भारतीय पति–पत्नी कुछ समय के विदेश में रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा भारत का ही नागरिक माना जाएगा।

जन्म स्थान से (By Place of Birth)

कई देशों में यह नियम है कि जो बच्चा (Child) जहाँ पैदा होगा, वह उसी देश का नागरिक माना जाएगा, उसके माता–पिता भले ही किसी अन्य देश के नागरिक हों।

दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)

कई देशों ने रक्त सिद्धान्त और जन्म सिद्धान्त दोनों को अपना रखा है। कई बार एक बच्चा दो राज्यों की जन्मजात नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यदि एक भारतीय पति–पत्नि अर्जेन्टाइना (Argentina) की यात्रा पर है और यात्रा के दौरान अर्जेन्टाइना में उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वह बच्चा अर्जेन्टाइना के जन्म–स्थान के सिद्धान्त के अनुसार अर्जेन्टाइना का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके माता–पिता भारतीय हैं तो भारत के रक्त सिद्धान्त के अनुसार वह भारत का भी जन्मजात नागरिक माना जाएगा। परन्तु कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता। इसलिए व्यस्क (Adult) होने पर उसे दोनों राज्यों में से किसी एक की नागरिकता छोड़नी होती है।

राज्यकृत नागरिकता (Naturalised Citizenship)

यह नागरिकता किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त नहीं होती। इसे राज्य अपनी इच्छा से प्रदान करता है। कुछ शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करने पर एक व्यक्ति को राज्यकृत नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

निवास के समय के आधार पर (Period of Resisdence)

जब कभी एक विदेशी किसी देश में बस जाता है, और फिर उस देश को छोड़कर अपने देश में वापिस नहीं जाना चाहता, राज्य से प्रार्थना करने पर ऐसे विदेशियों को नागरिकता मिल ही जाती है, परन्तु हर देश में इस निवास की अवधि अलग–अलग हो सकती है। इग्लैण्ड (England) और अमेरिका (America) में यदि एक विदेशी नागरिक चाहता है तो उसे यह नागरिकता वहाँ पाँच वर्ष तक रहने के बाद मिल सकती है। भारत में यह अवधि चार वर्ष है। स्वीड़न में यह अवधि केवल दो वर्ष है।

विवाह के द्वारा (Through Marriage)

पुरूष और स्त्री को बराबर की नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु जब कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसे पति के राज्य की नागरिकता अपने आप ही मिल जाती है। परन्तु जापान में स्थिति दूसरी है। यदि कोई विदेशी, जापानी स्त्री से विवाह कर ले तो उस विदेशी को जापानी नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

सम्पत्ति (Property)

कई देशों में यह नियम है कि यदि वहाँ कोई विदेशी जमीन जायदाद खरीद ले तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, दक्षिणी अमेरिका के पेरू (Peru) और मैक्सिको (Mexico) में यही नियम हैं।

नौकरी (Service)

कुछ देशों में यह भी नियम है कि यदि एक विदेशी उस देश में सरकारी नौकरी करता है तो राज्य उसे नागरिकता प्रदान कर सकता है।

गोद लेना (Adoption)

जब एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य के नागरिक को गोद ले लेता है, तो गोद लिये जाने वाले (Adopted Child) अपने गोद लेने वाले की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, गोद लिया गया व्यक्ति (या बच्चा) (Adopted) उसी देश का नागरिक हो जाता है, जिस देश का गोद लेने वाला है।

विजय (Conquest)

यदि कोई देश किसी अन्य देश के किसी भी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला ले तो जीते गए देश के सभी नागरिकों को विजेता देश की नागरिकता मिल जाती है।

विद्वानों को (To Scholars)

कुछ देश विद्वानों और वैज्ञानिकों (Scientists) को नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। यदि विदेशी विशेषज्ञ (expert) या वैज्ञानिक फ्रांस (France) की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे फ्रांस में एक वर्ष के निवास के बाद वहाँ की नागरिकता मिल सकती है।

राजनीतिक शरण (Political Asylum)

कुछ देशों में दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था से पीड़ित होकर, भागकर आए हुए लोगों को भी नागरिकता प्रदान करने का नियम है। रूस में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई साम्यवादी विचारधारा और कार्यों के कारण देश की सरकार से पीड़ित होकर रूस में शरण लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

2.2.9 नागरिकता का समाप्त होना (Loss of Citizenship)

लम्बी अनुपस्थिति (Long Absence)

यदि कोई नागरिक अपने देश को छोड़कर लम्बे समय तक किसी अन्य देश में रहता है तो वह अपने राज्य की नागरिकता खो देता है। इस अनुपस्थिति की अवधि हर देश में अलग–अलग है। फ्रांस और जर्मनी में यदि कोई व्यक्ति देश से दस वर्ष या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नागरिकता छिन जाती है।

विवाह (Marriage)

यदि कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसके अपने देश की नागरिकता उससे छिन जाती है। यदि कोई विदेशी जापानी स्त्री से विवाह कर जापान की नागरिकता स्वीकार कर लेता है उसे अपने देश की नागरिकता से हाथ धोना पड़ सकता है।

दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)

यदि एक व्यक्ति दो राज्यों को जन्मजात नागरिक बन जाए तो उसे एक ही राज्य की नागरिकता मिल सकती है, दूसरे राज्य की नागरिकता उससे छिन जाती है।

विदेशी सरकारी नौकरी (Service under a Foreign Government)

यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी सरकार की नौकरी कर लेता है तो उसकी अपनी सरकार उसकी नागकिरता छीन लेती है।

देश त्याग (Expatriation)

यदि एक नागरिक स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अनुमति मिल जाती है और इस तरह उससे अपने देश की नागरिकता छिन जाती है।

विदेशी सरकार से सम्मान प्राप्त करने पर (Decoration form a foreign Government)

कभी–कभी किसी नागरिक को कोई विदेशी सरकार सम्मान देकर कोई पदवी दे देती है। यदि वह व्यक्ति उस पदवी को स्वीकार कर लेता है तो उसके अपने देश की नागरिकता छिन सकती है।

स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग (Voluntary Renunciation of Citizenship)

कई बार नागरिक अपने राज्य की जन्मजात नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग कर किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।

गोद लेना (Adoption)

यदि कोई बच्चा (Child) किसी विदेशी द्वारा गोद ले लिया जाता है तो उसकी पहली नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसे गोद लेने वाले माता–पिता की नागरिकता मिल जाती है।

देशद्रोह या गम्भीर अपराध (Ireasout Serious Crime)

यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है या राष्ट्रीय सरकार के विरूद्ध कोई बगावत करता है तो उसे भी अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ता है।

विजय (Conquest)

जब कोई विदेशी राज्य एक राज्य को जीत लेता है तथा उस पर अपना अधिकार कर लेता है तो उस राज्य में रहने वाले नागरिकों की पहला नागरिकता समाप्त हो जाती है। उन्हें विजयी राज्य की नागरिकता मिल जाती है।

2.2.10 भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship)

15 अगस्त सन् 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उससे पूर्व भारतवासी इंग्लैण्ड के राजा की प्रजा मात्र थे। उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे, जो इंग्लैण्ड के नागरिकों को प्राप्त थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, तो उसमें भारतीय नागरिकता के नियमों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वे निम्नलिखित हैं:–

1. संविधान के लागू होने के समय वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और भारत में रहता है, भारत का नागरिक है।
2. ऐसे सभी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष से भारत में रहते हैं और जिनकी निष्ठा भारत के प्रति है, वे भारत के नागरिक बन सकते हैं।
3. ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता भारतीय हैं, परन्तु जिनका जन्म विदेश में हुआ है, भी भारत के नागरिक हैं।

4. पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं तथा सिक्खों के बारे में यह कहा गया है कि सन् 1948 से पूर्व पकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्ति, जिनके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी या इनमें कोई एक अथवा स्वयं अविभाजित भारत में जन्में हो तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके पश्चात् भारत आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है।

5. विदेशों में बसे ऐसे भारतीय, जिनका अपना अथवा जिनके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है और वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे अपना नाम उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में लिखवा सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।

2.2.11 भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955 (Indian Citizenship Acquisition Act, 1955)

विदेशियों को भारतीय नागरिकता देने के सम्बन्ध में सन् 1955 में संसद द्वारा 'नागरिकता प्राप्ति अधिनियम' पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई थीः–

1. भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करता।

2. भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो अथवा वहाँ सरकारी नौकरी करता हो।

3. उपरोक्त एक वर्ष से पहले के 7 वर्षों में वह कुल मिलाकर 4 वर्षों तक भारत में रहा हो अथवा चार वर्ष तक सरकारी नौकरी की हो।

4. वह चरित्रता व्यक्ति हो।

5. संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो।

6. नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात् वह या तो भारत में निवास करने अथवा यहाँ किसी सरकारी नौकरी में बने रहने का इच्छुक हो।

7. यदि किसी विदेशी ने दर्शन विज्ञान, कला साहित्य, विश्व शान्ति अथवा मानव–विकास के क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है। तो वह ऊपर दी गई शर्तों को पूरा किये बिना भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है।

यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस अधिनियम में दी गई शर्तें पूरी करनी होगी तथा भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होगी।

2.2.12 नागरिकता के सिद्धान्त

(Theories of Citizenship)

नागरिकता के बारे में कई प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित है, जिनमें निम्नलिखित सिद्धान्त प्रमुख हैंः–

नागरिकता का उदारवादी सिद्धान्त (Liberal Theory of Citizenship)

इस सिद्धान्त का आधार नागरिक के अधिकार है। नागरिक के अधिकारों को इस सिद्धान्त में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए इस सिद्धान्त के नागरिकता का 'विकासात्मक सिद्धान्त' भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक टी.एच. मार्शल है। टी.एच. मार्शल (T.H. Marshall) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नागरिकता और सामाजिक वर्ग' (Citizenship and Social Class) में नागरिक के तीन प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया है। 1. नागरिक

अधिकार (Civil Rights), 2. राजनीतिक अधिकार (Political Rights) तथा 3. सामाजिक अधिकार (Social Rights) ऊपर दिये गये तीनों अधिकारों को मार्शल (Marshall) ने 'नागरिकता के मूल तत्त्व' (Elements of Citizenship) कहा है। ये मूल तत्त्व निम्नलिखित हैं:–

नागरिक अधिकार (Civil Rights)

इग्लैण्ड में सबसे पहले नागरिक अधिकारों का विकास हुआ, जिनमें मुख्य रूप से विचार अभिव्यक्ति, और धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अर्जित करने तथा आपस में किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध (Contract) करने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता तथा स्वेच्छाचारी ढंग से बन्दी न बनाए जाने के अधिकार शामिल थे। सन् 1689 के 'अधिकार पत्र' (Bill of Rights) द्वारा इस सिद्धान्त पर बल दिया गया कि कानून सबसे ऊपर (Rule of Law) है।

राजनीतिक अधिकार (Political Rights)

नागरिकता के अगले मूल तत्त्व 'राजनीतिक अधिकार' (Political Rights) में 'सुधार कानून' (Reforms Act, of 1832) में आरम्भ हुआ। इससे पहले केवल तीन प्रतिशत व्यस्क को मतदान का अधिकार प्राप्त था, जिनमें महिलाएँ शामिल नहीं थी। सन् 1832, 1867 तथा 1884 के सुधार – अधिनियमों द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ।

सामाजिक अधिकार (Social Rights)

नागरिकता के तीसरे मूल तत्व सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा (Social-Economic Security) का आरम्भ 20वीं शताब्दी में हुआ। सन् 1906 में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल में 'दोपहर का भोजन' (Mid-day Meals) देने की व्यवस्था की गई। सन् 1908 में 70 वर्ष और उसके अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old age pension scheme) लागू कर दी गई। सन् 1909 में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) तथा अधिकतम काम करने के घंटे (Maximum Working Hours) निश्चित किए गये। आजकल इंगलैण्ड के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी नागरिकों को बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु तथा अनाथावस्था के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है।

इस प्रकार मार्शल (Marshall) के मतानुसार अधिकारों का विस्तार रेखीय (Linear) है। यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन की जनता ने एक छलांग (Jump) के बाद दूसरी छलांग लगाई। पहले नागरिक क्षेत्र में, उसके पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में तथा अन्त में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता आई है।

मार्शल (Marshall) के शब्दों में, ''नागरिकता वास्तव में एक ऐसी स्थिति की तलाश है, जिसमें लोगों को यह लगे कि समाज में सभी समान महत्त्व है और उन्हें समान अवसर उपलब्ध हैं। आदर्श स्थिति हम उसे नहीं कहेंगे जब बेसमेन्ट (Basement) में रहने वाला व्यक्ति पहली मंजिल पर रहने लगे। आदर्श स्थिति तो वह है जब बहुमंजिल इमारतें समाप्त हो जाएं और हर व्यक्ति को रहने के लिए एक बंगला उपलब्ध हो।'' (The expansion of social rights is no longer merely an attempt to abate the obvious nuisance of destitution in the lowest ranks of society. It is no longer content to raise the floor-level in the basement of the social edifice, leaving the superstructure as it was. It has begun to remodel the whole building, and it might even end by converting a sky-scraper into a bungalow.)

नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धान्त (Marxist Theory of Citizenship)

यह सिद्धान्त मार्क्स के (Marx) वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित है और यह मान्यता है कि अधिकार वर्ग संघर्ष की ही देन है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक एंथनी गिड्डिन्स (A.Giddens) है। नागरिकता के बारे में एंथनी गिड्डिन्स (A. Giddens) के विचार उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं:–

1. समाज की संरचना (The Consitution of Society)
2. राष्ट्र राज्य और हिंसा (The Nation State and Violence)
3. ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन समीक्षा (A contemporary critique of Historical Materialism)

एंथनी गिड्डिन्स (Anthony Giddens) ने मार्शल (Marshall) के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है जो कि इस प्रकार हैः–

आलोचना
(Criticism)

त्रि–चरणीय विकास (Three-tier Development)

एंथनी गिड्डिन्स (Anthony Giddens) मार्शल की त्रि–चरणीय विकास सम्बन्धी धारणा को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मार्शल का यह कहना अधिक तर्क संगत नहीं है कि अधिकारों का विकास रेखीय है अर्थात् अधिकारों के क्षेत्र में समाज ने एक के बाद दूसरी तथा दूसरी के बाद तीसरी छलांग लगाई है। मार्शल इस बात को भूल गए कि नागरिकों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनके अनुसार औद्योगिक अधिकार; जैसे श्रमिक संघ बनाने, प्रदर्शन तथा हड़ताल करने तथा न्यूनतम मजदूरी आदि के अधिकतर नागरिक अधिकारों के विकास मात्र नहीं है। बल्कि वे मजदूरों को कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुए गिड्डिन्स (Giddens) मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के अधिकार किसी न किसी टकराव का परिणाम है।

अधिकारों का लगातार विकास (Continious Development of Rights)

गिड्डिन्स (Giddens) ने इस आधार पर भी मार्शल के सिद्धान्त की आलोचना की है। उसके अनुसार मार्शल (Marshell) ने यह बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया है कि अधिकारों का लगातार विकास हो रहा है। वह यह भूल जाता है कि आने वाले समय में यह असम्भव है कि राज्य सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में अपना हाथ खींच ले और लोगों को प्रतिस्पर्धा (Compitition) की स्थिति में छोड़ दें। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार की बजाय उनमें कटौती सम्भव है।

मार्शल के सिद्धान्त की इस प्रकार आलोचना करने के पश्चात् गिड्डिन्स (Giddens) ने नागरिक तथा अधिकारों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार हैः–

संघर्ष (Struggle)

गिड्डिन्स (Giddens) के अनुसार अधिकारों का विकास राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ हुआ है। इन राज्यों का प्रशासनिक ढाँचा जनता के सहयोग के बिना नहीं चल सकता था। मध्यवर्ग ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अधिकारों की माँग की। उन्हें ये अधिकार राज्य की दया से नहीं मिले बल्कि उन्हें इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह वर्ग संघर्ष कई स्तरों पर चला – बर्जुआ वर्ग ने सामन्तों से लड़ाई लड़ी और मजदूरी मे बर्जुआ वर्ग (पूँजीपतियों) के विरूद्ध संघर्ष किया। एक लम्बे संघर्ष के बाद ही मजदूरों को संघ बनाने (Right of Trade Unionism), न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) तथा पूँजीपतियों से सामूहिक सौदेबाजी (Right to collective Barganning) आदि प्राप्त हुए।

अधिकारों का विकास साथ–साथ (Simerltaneous Development of Rights)

गिड्डिन्स (Giddens) का कहना है कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का विकास साथ–साथ हुआ। उदाहरण के लिए सन् 1689 का अधिकार–पत्र (Bill of Rights 1689) में नागरिकों के केवल नागरिक अधिकारों का ही उल्लेख नहीं था, बल्कि उसमें राजनीतिक अधिकार भी शामिल थे।

केवल पूंजीपति वर्ग के लिए (Mainly for the Bourgeois Class)

गिड्डिन्स (Giddens) के अनुसार पश्चिम के वर्तमान पूँजीवादी राज्य वास्तव में वर्ग राज्य हैं क्योंकि वे पूँजीपतियों के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।

परन्तु बड़े–बड़े उद्योगों के मालिक राजनीतिक नेताओं को चंदा देने की क्षमता पर नियंत्रण रखने के कारण राजनीति पर छाए हुए हैं।

मूल्यांकन
(Evaluation)

यद्यपि गिड्डिन्स के सिद्धान्त में कुछ सच्चाई है, परन्तु उनकी यह मान्यता निराधार है कि मार्शल (Marshall) के विश्लेषण में उस संघर्ष का कहीं वर्णन नहीं मिलता। जिसके बिना अधिकारों की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। मार्शल (Marshall) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है ''नागरिकता के विस्तार को प्रोत्साहन उस संघर्ष से मिला जो अधिकारों को प्राप्त करने के बाद उनके उपयोग के लिए भी संघर्ष आवश्यक था।'' (The growth of citizenship is stimulated both by the struggle to win these rights and by their enjoyment when won.)

बहुलवादी सिद्धान्त (Pluralist Theory)

यह सिद्धान्त नागरिकता के विकास को एक जटिल प्रक्रिया मानता है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक डेविड हैल्ड (David Held) है। इस सिद्धान्त को डेविड हैल्ड का सिद्धान्त कहा जाता है। डेविड हैल्ड ने गिड्डिन्स के सिद्धान्त में कई त्रुटियाँ बताई हैं। गिड्डिन्स (Giddens) की पुस्तक (राष्ट्र, राज्य और हिंसा) में मार्क्सवाद की कई मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। गिड्डिन्स (Giddens) ने लिखा है, ''आज के उन्नत औद्योगिक समाजों में पूँजीवाद का अब वह रूप नहीं रह गया है जो 19वीं शताब्दी में था और इस परिवर्तन को लाने में मुख्य भूमिका श्रमिक आन्दोलन की रही। अधिकांश पूँजीवाद देशों में पूँजीवाद ने अब कल्याणकारी पूँजीवाद का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है और सामाजिक आर्थिक अधिकारों का दायरा विस्तृत हुआ है।'' (Among the industrialized societies at least, capitalism is by now a very different phenomenon from what it was in the nineteenth century and labour movements have played a major role in charging it. In most of the capitalist countries, we now have to speak to the existence of 'welfare capitalism', a system in which the labour movement has achieved a considerable stake and which economic (Social) citizienship rights brook large.) डेविड हैल्ड (David Held) के अनुसार अधिकारों का उदय विभिन्न कारणों से हुआ है, जिनमें मुख्य भूमिका इन तत्त्वों की रही (i) सामन्तों तथा राजाओं के आपसी झगड़े, (ii) करों की वृद्धि के खिलाफ किसानों का विद्रोह, (iii) व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, (iv) पुनः जागरण (Ranaissance) का प्रभाव, (v) इंग्लैण्ड फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्र राज्यों का उदय, (vi) चर्च तथा राज्य के झगड़े और धर्म सुधार आन्दोलन और, (vii) व्यक्तिवाद तथा अन्य राजनीतिक विचारधाराओं का उत्थान।

डेविड हैल्ड (David Held) ने मार्शल (Marshall) तथा गिड्डिन्स के विचारों को नकारा नहीं बल्कि इस दायरे को विस्तृत करने का सुझाव दिया है। उसमें सब नए मुद्दे जोड़े जाएं; जैसे नारी – आन्दोलन, श्वेत लोगों के विरूद्ध अश्वेत आन्दोलन, बालश्रम तथा बच्चों के अधिकार (Child labour and rights of Children)।

नागरिक का स्वेच्छातन्त्रवादी सिद्धान्त (Libertarian Theory of Citizenship)

इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतन्त्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। यह सिद्धान्त बाज़ार समाज (Market Society) के प्रतिरूप को नागरिक जीवन का आधार मानता है। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवक्ता राबर्ट नॉजिक (Nozic) हैं। नॉजिक ने, अपनी प्रसिद्ध रचना ('Anarchy, State and Utopia 1974) के अन्तर्गत यह संकेत किया है कि लोग अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं (Preference) के लिए निजी गतिविधि, बाजार–विनिमय और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं। क्योंकि नागरिकता की सभी आवश्यकताएँ इन तरीकों से आवश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से नागरिक का अर्थ है – सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता (Rational Consumer of Public Goods)। राबर्ट नॉजिक (Robert Nassic) ने राज्य को एक विशाल उद्यत और

नागरिकों को राज्य का ग्राहक माना है। नागरिकता के इस सिद्धान्त के आलोचकों ने इस बात पर आलोचना की है कि मुफ्त बाजार (Free Market) आधारित व्यक्तिवाद सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है।

नागरिकता का समुदायवादी सिद्धान्त (Communitarian Theory of Citizenship)

नागरिकता के स्वेच्छांतत्रवादी सिद्धान्त के विरूद्ध नागरिकता का समुदायवादी सिद्धान्त व्यक्ति और समुदाय के सुदृढ़ संबंधों पर बल देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीतिक वाद–विवाद तथा निर्णय प्रक्रिया में भोग लेकर समाज के भावी रूप को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का मुख्य लक्षण नागरिक सहभागिता (Political Participation Arnold) है। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक हन्ना आरेद (Hanna Arendt) बेंजामिन बाबर (Benjaman Barber) और माइकल वॉल्जर है। वर्तमान समाज का आकार बहुत बड़ा है और समाज की जटिलता अधिक है। जिस कारण से इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देना कठिन कार्य है।

नागरिकता के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् अब हम आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएँ और उनका समाधान पढ़ेंगे।

2.2.13 आदर्श नागरिकता में बाधाएँ (Hindrances of Ideal Citizenship)

आदर्श नागरिक किसी भी देश की अमूल्य सम्पत्ति है तथा राष्ट्र की प्रगति और विकास आदर्श नागरिकों पर ही निर्भर करता है, परन्तु समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं, जो नागरिक को उसके आदर्श मार्ग से विचलित कर देती है। इन परिस्थितियों को ही आदर्श नागरिक के मार्ग की बाधाएँ कहा जाता है। इन बाधाओं का वर्णन निम्नलिखित हैः–

लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) के विचारानुसार, अच्छी नागरिकता के मार्ग में तीन बाधाएँ हैंः– (i) दलबन्दी (Party spirit) (ii) आलस्य (Indolence) (iii) स्वार्थ (Self Inerest) इन बाधाओं के अतिरिक्त निरक्षरता (Illiteracy), गरीबी (Poverty), बुरे रीति–रिवाज (Evil Customs), साम्प्रदायिकता (Communalism) तथा संकुचित राष्ट्रीय (Narrow Natioanlism) आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

दलबन्दी (Party Factionalism)

अच्छी नागरिकता के लिए दलबन्दी भी एक रूकावट है। वैसे तो राजनीतिक दलों को प्रजातन्त्र का प्राण कहा जाता है। परन्तु जब राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हितों के आधार पर न होकर जातिगत हितों के आधार पर होता है तो दल राजनीतिक वातावरण को भ्रष्ट कर देते हैं। नागरिक जातिगत दलबन्दी में फँसकर राष्ट्रीय हितों का त्याग कर देते हैं और अपनी–अपनी जाति के हितों को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे समाज में परस्पर द्वेष, घृणा तथा कलह उत्पन्न हो जाती है।

आलस्य (Indolence)

आलस्य से तात्पर्य राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही है। यदि नागरिक को राजनीतिक विषयों का ज्ञान नहीं होता तो वह राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकेगा। अधिकतर व्यक्ति यह समझते हैं राजनीतिक विषयों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उनकों इसमें रूचि लेने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं कि अनेक मतदाता केवल आलस्य के कारण भी अपना मत देने के लिए नहीं जाते वे समझते हैं कि उनकी ओर से कोई भी दल शासन करे उनको कोई चिंता नहीं है। ऐसे विचार निःसन्देह अच्छी नागरिकता के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

स्वार्थ (Self-Interest)

अधिकतर नागरिक सार्वजनिक हितों का त्याग करके अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं। जब एक मतदाता विधानमण्डल के लिए खड़े हुए उम्मीदवार से रिश्वत लेकर अपना मत दे देता है तो देश के हित का त्याग करके अपने स्वार्भ को पूरा करता है। उसके इस स्वार्थी हित से अनुचित उम्मीदवार का चुनाव हो सकता है जो विधान मंडल में जाकर अपने स्वार्थ को पूरा करेगा।

गरीबी (Poverty)

यदि नागरिक निर्धन हैं तो अच्छी नागरिकता का उत्पन्न होना कठिन हैं। गरीब व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। वह डाकू, चोर, घातक और धोखेबाज बन सकता है निर्धनता सब बुराईयों की जननी है। निर्धन व्यक्ति को लोकहित के काम में कोई रूचि नहीं होती क्योंकि उसको तो पहले पेट भरने की चिन्ता होती है। जिस व्यक्ति को दो समय भर पेट भोजन नहीं मिलता, वह देश के कार्यों में क्या रूचि दिखलाएगा? जिस देश के लोग अत्यधिक गरीब हैं, वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

साम्प्रदायिकता (Communalism)

यदि नागरिकों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता होगा तो वे राष्ट्रीय हितों का त्याग करके अपने साम्प्रदायिक हितों की पूर्ति करेंगे। साम्प्रदायिकता व्यक्तियों को अलग–अलग वर्गों में विभाजित कर देती है जिसका परिणाम परस्पर ईर्ष्या–द्वेष होता है। साम्प्रदायिकता के साथ–साथ प्रान्तीयता भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। प्रान्तीयता के कारण देश की एकता को हानि पहुँचाती है और देश अनेक छोटे–छोटे राज्यों में बंट जाता है।

निरक्षरता (Illiteracy)

निरक्षरता मनुष्य को पशु तुल्य बना देती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। लास्की (Laski) के अनुसार, नागरिकता व्यक्ति के लोकहित कार्य के प्रति न्यायात्मक दृष्टि (Judicious Power) पर निर्भर करती है। अनपढ़ व्यक्ति राज्य का प्रबन्ध सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अज्ञानी तथा अशिक्षित मतदाताओं के कारण प्रजातन्त्र भीड़तन्त्र (Mobcracy) बन जाता है।

बुरे रीति–रिवाज (Evil Customs)

पुराने तथा बुरे रीति रिवाज भी अच्छी नागरिकता को बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरणतः भारत में जाति–पाति की प्रथा अच्छी नागकिरता के मार्ग में बड़ी बाधा है। इस प्रकार दहेज–प्रथा, पर्दा–प्रथा आदि बुराईयाँ भी अच्छी नागरिकता को विकसित करने से रोकती हैं।

संकुचित राष्ट्रीयता (Narrow Nationalism)

संकुचित राष्ट्रीयता के कारण कभी–कभी एक दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है, जिससे संसार की शान्ति भंग हो जाती है और मानव जाति को हानि पहुँचती है। नागरिकता का आदर्श है। परन्तु राष्ट्रीयता विश्व नागरिकता के मार्ग में बाधा डालती है।

उपर्युक्त बाधाओं की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाधाएँ नागरिक को एक आदर्श नागरिक बनने से रोकती हैं।

2.2.14 आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय (Method to remove the Hindrances to Good Citizenship)

यह स्पष्ट है कि यदि देश में अच्छी नागरिकता का विकास करना है तो इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने का उपाय किया जाए। लार्ड ब्राइस ने बाधाओं को दूर करने के दो उपाय बताए हैं:–

व्यवस्था उपचार (Mechanical Remedies)

व्यवस्था उपचार वे हैं, जो सरकार की मशीनरी में कुछ परिवर्तन लाकर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवस्था उपचार में निम्नलिखित उपचार सम्मिलित हैं।

अनिवार्य मतदान (Compluslory voting)

कुछ लेखकों का विचार है कि अनिवार्य मतदान द्वारा नागरिकों की राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीनता को दूर किया जा सकता है। बैल्जियम (Belgium) तथा आस्ट्रेलिया (Australia) में मतदाताओं के लिए मतदान करना आवश्यक है। परन्तु यह उपचार अनेक देशों द्वारा नहीं अपनाया गया। यह ठीक है कि अनिवार्य मतदान से नागरिकों की उदासीनता को कुछ अंश तक दूर किया जा सकता है, परन्तु दबाव में मतदाता लापरवाही से वोट डाल सकते हैं, जिसका परिणाम अयोग्य उम्मीदवारों का चुनाव हो सकता है।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय (Measures to Check Curruption)

राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकता है जिसके द्वारा चुनावों में भ्रष्टाचार तथा गैर–कानूनी विधियों के प्रयोग करने पर कठोर दण्ड दिया जा सके।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

यह विचार किया जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी वोट शक्ति के अनुसार विधानमण्डल में स्थान प्राप्त हो सकते हैं। यह प्रणाली विधानमंडल को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि रूप प्रदान करती है।

प्रत्यक्ष विधि निर्माण (Direct Legislation)

राजनीतिक कार्यों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए लोकमत संग्रह (Referendum) तथा अनुक्रम (Initiative) के उपायों को अपनाया जा सकता है। लोकमत संग्रह के अन्तर्गत नागरिक विधानमण्डल द्वारा पाए किए गए किसी बिल पर अपने विचार प्रकट करते हैं। यदि जनता का बहुमत उस बिल के पक्ष में मतदान कर देता है तो वह बिल कार्यान्वित हो जाता है अन्यथा नहीं। अनुक्रम के अन्तर्गत नागरिक विधानमण्डल के विचार हेतु कोई बिल भेज सकते है। इस प्रकार इन उपायों द्वारा लोगों का सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर सोच–विचार करने तथा अपनी उदासीनता त्यागने के योग्य बनाया जाता है।

नैतिक उपचार (Ethical Remedies)

व्यवस्था उपचारों की अपेक्षा नैतिक उपचार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे, जिनका वर्णन इस प्रकार से हैः–

गरीबी का अन्त (Removal of Poverty)

गरीबी आदर्श नागरिक के लिए अभिशाप है। इसे दूर किया जाना चाहिए। गरीबी नागरिकता को गलत कार्य करने के लिए विवश कर देती है। जब तक आर्थिक असमानता रहेगी तब तक आदर्श नागरिकता भी स्थापित नहीं हो पायेगी और राज्य या समाज का कल्याण भी नहीं हो पाएगा।

अच्छी शिक्षा (Good Education)

प्लेटो (Plato) ने ठीक ही कहा है कि उस राज्य में कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। देश के सारे राजनीतिक दल मिलकर यह प्रयत्न करें कि बच्चों में आदर्श नागरिकता के गुण उत्पन्न किए जाएं। शिक्षा तथा प्रचार द्वारा साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, स्वार्थपरता तथा दलबन्दी का अन्त किया जाना चाहिए।

राजनीति दल (Political Parties)

राजनीतिक दलों को राष्ट्र हित के समक्ष रखकर कार्य करना चाहिए। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय निम्न स्तर के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए तथा राजनीतिक नेताओं को ईमानदारी बुद्धिमत्ता एवं समझदारी का परिचय देना चाहिए।

निष्पक्ष और स्वतन्त्र प्रैस (Free and Impartial Press)

रेड़ियो और टेलीविजन की भान्ति समाचार–पत्र भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, परन्तु प्रेस स्वतन्त्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी एक निष्पक्ष लोकमत तैयार किया जा सकेगा और समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने में सहायता मिल सकेगी।

सामाजिक समानता (Social Equality)

सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज का समान अंग है और सभी को समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उच्च आदर्श (High Ideals)

नागरिकों को नैतिकता के आधार पर उच्च आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाए तो बहुत सी बाधाएँ जैसे साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, क्षेत्रवाद, संकीर्णता की भावनाएँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। उच्च आदर्शों की स्थापना प्रचार प्रसार के लिए रेड़ियो या टेलिविजन का प्रयोग किया जा सकता है।

सामाजिक बुराईयों का अन्त (Removal of Social Evils)

समाज में कुछ सामाजिक बुराईयाँ चली आ रही है जो आदर्श नागरिक के लिए कलंक है जैसे छुआछूत, दहेज–प्रथा, सती–प्रथा आदि। इन सामाजिक बुराईयों को राज्य द्वारा दूर किया जाना चाहिए।

2.2.15 निष्कर्ष (Conclusion)

आदर्श नागरिकता का निर्माण करना और आदर्श नागरिकता के मार्ग में व्याप्त बाधाओं को दूर कर समाज के एक पक्ष के वश की बात नहीं है। इस कार्य में तो प्रत्येक पक्ष को अपना अपना योगदान देना होगा। राज्य, सरकारें, राजनीतिक दल, राजनेता, अभिनेता, रेड़ियों, समाचार पत्र आदि सभी का यह संयुक्त दायित्व बनता है कि वे आदर्श नागरिकता की स्थापना में अपना सम्पूर्ण योगदान प्रदान करें।

2.2.16 मुख्य शब्दावली

1) नागरिकता
2) राजनीतिक शरण
3) दोहरी नागरिकता
4) बर्जुआ
5) समुदायवादी

2.2.17 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. नागरिकता क्या है? नागरिकता के प्रकार तथा इसको प्राप्त करने के ढंग बताओ।
(What is citizenship? Define its kinds and methods of acquiring citizenship.)

2. नागरिकता की परिभाषा बताएँ। नागरिकता किस प्रकार प्राप्त तथा समाप्त होती हैं?
(Define citizenship. How can citizenship be acquired and lost?)

3. नागरिकता की परिभाषा बताएं। एक व्यक्ति अन्य राज्य का नागरिक किस प्रकार बन सकता है?
(Define Citizenship. How can one became a citizen of another state?)

4. राज्यकृत नागरिकता से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार प्राप्त या समाप्त होती है?
(What do you mean by Naturalized citizenship? How is it acquired and lost?)

5. आदर्श नागरिकता के रास्ते में क्या बाधाएँ हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
(What are the hindrances in the path of ideal or good citizenship? How can they be removed?)

6. नागरिकता के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the various theories of citizenship.)

7. नागरिकता के तीन मूल तत्वों पर प्रकाश डालते हुए टी०एच० मार्शल के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(Examine T.H. Marshall's theory highlighting three elements of citizenship.)

8. नागरिकता के सिद्धान्त में मार्शल व गिड्डेन्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
(Examine the contribution of Marshall and Giddens to the theory of citizenship.)

2.2.18 संदर्भ सूची

- N. P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.3 अधिकार

थॉमस जैफरसन (Thomes Jefferson) के अनुसार ''सब मनुष्य समान रूप से स्वतन्त्र हैं और उनके कुछ जन्मजात अधिकार है, जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन अथवा अपनी सन्तानों से अलग नहीं रह सकते जैसे जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकारों का उपभोग, सम्पत्ति प्राप्त करने और सुखी जीवन के साधन के अधिकार।'' (We hold these truths to be self-evident that men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights that among these are life, Liberty and pursuit of Happiness.) सी.डी. बर्न्स (C.D. Burns) के अनुसार ''फ्रांस की क्रान्ति ने कोई दान नहीं माँगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की।''

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता, जीवित रहता और मर जाता है। समाज में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में ही वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। किन्तु यदि समाज में उसे जीवन की सुविधाएँ और विकास के अवसर न मिलें तो उसका व्यक्तित्व अपूर्ण और अविकसित रह जाता है।

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समाज में प्रत्येक राज्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं और लस्की (Laski) के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ''एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।'' (Every state is known by the rights, that it maintains.)

2.3.1 परिचय

अधिकार समाज से, विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से, उद्‌भूत होते हैं और इसी कारण हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकार व्यक्तियों के अधिकार होते हैं; वे व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं, वे व्यक्तियों के लिए अस्तित्व रखते हैं, इनका व्यवहार उनके द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि अपनी निजी पहचानों का सम्पूर्ण विकास लाभ कर सकें।

2.3.2 उद्देश्य

1. सामाजिक जीवन में अधिकारों की अनिवार्यताओं को समझना।
2. अधिकारों के ऐतिहासिक विकास, क्षेत्र और विचारों के बारे में जानना।
3. अधिकार संबंधी समालोचनाओं द्वारा दिए वैकल्पिक अर्थों पर भी ध्यान केन्द्रित करना।
4. अधिकारों से संबंधित धारणाओं को जानना।
5. आधुनिक प्रजातन्त्रीय शासन में अधिकारों के महत्व को समझना।

2.3.3 अधिकार की परिभाषा

(Definitions of Rights)

अधिकार का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकें। विभिन्न विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्नलिखित परिभाषाएँ की गयी हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार हैः–

1. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। (Rights are those conditions of social life, without which no man can seek in general to be himself at his best.)
2. वाइल्ड (Wild) के अनुसार, ''अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतन्त्रता की उचित माँग है।'' (A right is a responsible claim to freedom in the exercise of certain activities.)
3. बोसांके (Bosanquet) के अनुसार, ''अधिकार वह माँग है, जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है।'' (A right is a claim recognised by the society and enforced by the state.)
4. हालैण्ड (Holland) के शब्दों में ''व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को, स्वयं शक्ति से नहीं वरन् समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं।'' (A right is one man's capacity of influencing the act of other's not by his own strength out but by the strength of the society.)
5. भारतीय विद्वान श्री निवास शास्त्री (Shriniwas Shastri) के अनुसार, ''अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम या रीति है, जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो।'' (In its essence a right is an arrangement, rule or practice sanctioned by the law of the community and conducive to the highest moral good of the citizen.)
6. ऑस्टिन (Austin) के अनुसार, ''अधिकार एक व्यक्ति के पास दूसरे से मनवाने और उन्हें कुछ कार्यों से रोकने की शक्ति को कहते हैं।'' (Rights means one man's capacity of exacting from another's actor forebearance.)
7. टी०एच० ग्रीन (T.H. Green) के शब्दों में ''अधिकार वह शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के नैतिक प्राणी होने के कारण उसके व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक है।'' (Rights are those powers which are necessary to the fulfillment to man's vocation as a moral being.)
8. अर्नेस्ट बार्कर (Earnest Barker) के अनुसार, ''अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतन्त्रता का ही दूसरा नाम है। इस स्वतन्त्रता की गारंटी मुझे कानून से हासिल होती है।'' (Any particular right which I have capacity of enjoying some particular status, or employing some particular power of action which has been secured and guaranteed to me by law.)

2.3.4 अधिकारों की विशेषताएँ

(Charactersitcs of Rights)

अधिकारों की अलग–अलग परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम देखते हैं कि इनमें निम्न विशेषताएँ पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं:–

1. **अधिकार व्यक्ति के हक होते हैं (Right are claims of an individuals)**:– अधिकार व्यक्ति के दावे होते हैं जिनकी वह माँग कर सकता है और उसे वह प्राप्त होने चाहिए।
2. **अधिकार समाज में ही सम्भव हैं (Rights are possible only in the society)**:– अधिकारों को व्यक्ति केवल समाज में ही प्राप्त कर सकता है। यदि समाज नहीं है तो व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। अकेले व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके कार्यों पर बन्धन लगानेक की आवश्यकता नहीं है।

3. **अधिकारों को समाज स्वीकृत करता है (Rights are recognised by the society also):–** अधिकार समाज द्वारा ही स्वीकार होने चाहिएं। समाज किसी अधिकार को तभी स्वीकार करता है यदि उसमें सर्वकल्याण हित छिपा हुआ है, नहीं तो मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कई दावे करेगा।

4. **अधिकार राज्यों द्वारा स्वीकृत और निर्धारित किये जाते हैं (Right are recognised and enforced by the state):–** अधिकारों का राज्य द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है और स्वीकृत अधिकारों को राज्य निर्धारित भी करता है। राज्य देखता है कि कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन न करें और वह उल्लंघन करने वालों को दंड देता है।

5. **अधिकार असीमित नहीं होते (Right are not unlimited)**:– जिन अधिकारों को एक बार मान्यता मिल जाती है। उन्हीं अधिकारों को प्रयोग करते समय हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकार सीमित होते हैं, असीमित नहीं।

6. **अधिकार सार्वभौतिक होते हैं (Right are universal)**:– कोई भी अधिकार कभी भी किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप में नहीं दिया जा सकता अपितु सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होते हैं।

7. **अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर सम्बन्धित हैं (Rights and Duties are corelated)**:– अधिकार के पास कर्त्तव्य सम्बन्धित होते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अर्थहीन होते हैं। इन दोनों को कभी एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा अधिकार दूसरे का कर्तव्य है।

8. **अधिकार सामाजिक हितों के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं (Right can be used for social Good or welfare):–** अधिकार का भाव व्यक्ति की भलाई के लिए साथ–साथ सामाजिक भलाई भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि समाज को हानि हो तो उस अधिकार को वापिस लिया जा सकता है।

9. **अधिकार समय के अनुसार बदलते हैं (Rights keep on changing with time):–** अधिकार समय के साथ–साथ बदलते रहते हैं जैसे राज्य प्रगति करता रहता है वह अधिक अधिकार प्रदान करता जाता है। तानाशाही में सीमित अधिकार थे परन्तु आज लोकतन्त्र में व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं।

सामान्य शब्दों में अधिकार की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है।

2.3.5 अधिकारों का वर्गीकरण

(Classification of Rights)

साधारणतः अधिकारों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। (i) नैतिक अधिकार (Moral Rights) व (ii) कानूनी अधिकार (Legal Rights)। कानूनी अधिकारों के दो प्रकार होते हैं। (i) सामाजिक अधिकार (Social Rights) व (ii) राजनैतिक अधिकार (Political Rights)। सामाजिक अधिकारों को सात भागों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है:–

(i) समानता का अधिकार (Right to Equality)

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

(iii) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

(iv) रोजगार का अधिकार (Right to work)
(v) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
(vi) जीवन का अधिकार (Right to Life)
(vii) परिवार का अधिकार (Right to Family)

इसी प्रकार राजनैतिक अधिकार को भी चार वर्गों में बांटा गया है जैसेः–

(i) मत देने का अधिकार (Right to Vote)
(ii) निर्वाचित होने का अधिकार (Right to Get Elected)
(iii) सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)
(iv) प्रार्थना करने का अधिकार (Right to Petition)

समानता के अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। जैसेः–

(i) राजनीतिक समानता का अधिकार (Right to Political Equality)
(ii) सामाजिक समानता का अधिकार (Right to Social Equality)
(iii) आर्थिक समानता का अधिकार (Right to Economic Equality)

नीचे दी गई तालिका से अधिकारों के ये प्रकार भली भाँति स्पष्ट हो जायेंगे।

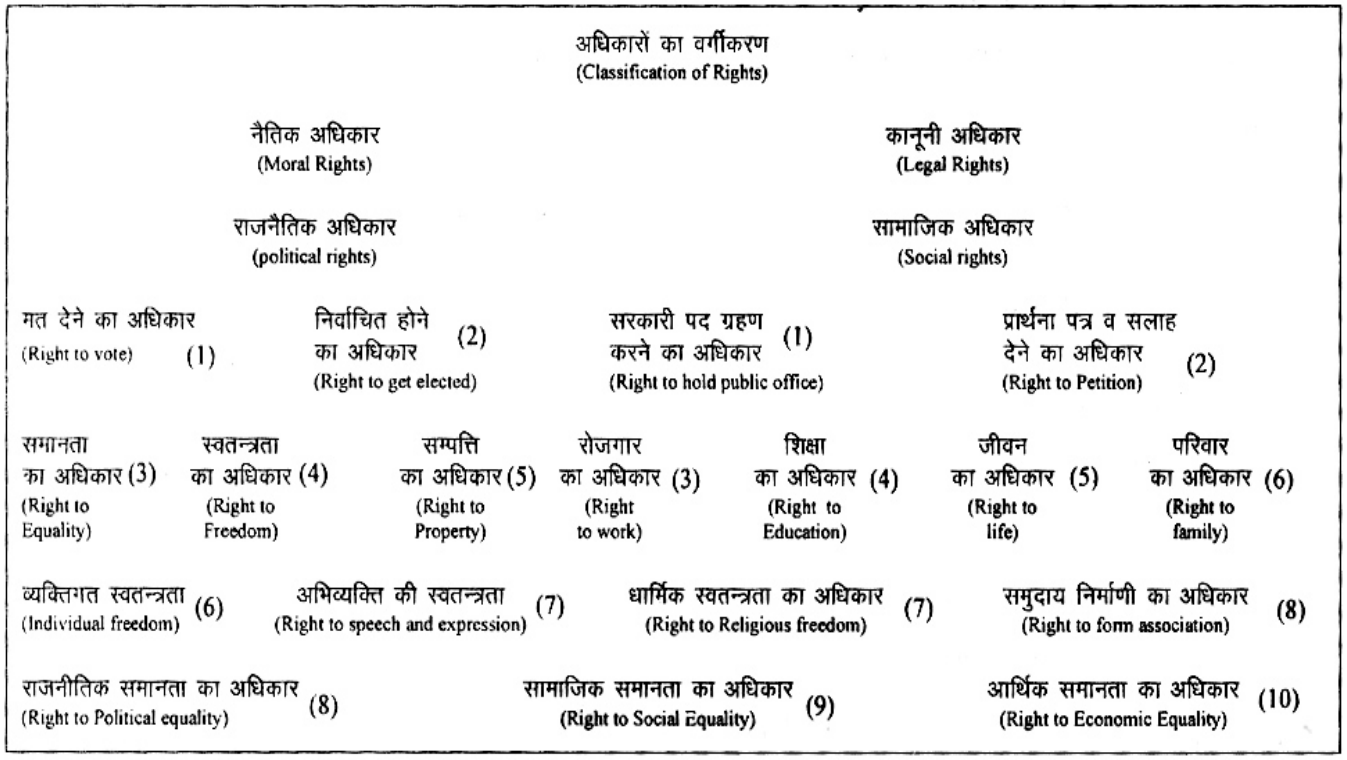

साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैंः–

नैतिक अधिकार (Moral Rights)

नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण (Moral Conduct) से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा

रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें जनमत (Public Opinion) या स्वविवेक द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के कानूनों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

कानूनी अधिकार (Legal Rights)

ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिसका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है। लीकॉक (Leacock) ने अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि ''कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं, जो एक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं।''

कानूनी अधिकारों के दो भेद किये जा सकते हैंः–

(i) सामाजिक या नागरिक अधिकार, (ii) राजनीति अधिकार।

सामाजिक या नागरिक अधिकार (Social or Civil Rights)

प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैंः–

जीवन का अधिकार (Rights of Life)

मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके। जीवन को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति के अधिकार में ही आत्म–रक्षा (Self-Defence) का अधिकार सम्मिलित है। जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का भी अन्त नहीं कर सकता है। अतः आत्महत्या (Suicide) एक दण्ड़नीय अपराध है। सैंट थॉमस एक्वीनास (Acquinas) के शब्दों में, ''आत्महत्या स्वयं अपने प्रति समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है।'' (Sucide is an offence to oneself, an offence to society and an offence to God hiself.)

समानता का अधिकार (Right to Equality)

समानता का अधिकार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने की समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातन्त्र की आत्मा है। समानता के अधिकार के निम्न भेद (Kinds) हैंः–

1. **राजनीतिक समानता का अधिकार (Right of Political Equality)**: इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। न्याय (Justice) और कानून (Law) की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए।
2. **सामाजिक समानता का अधिकार (Right to Social Equality):–** इसका तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बेनी प्रसाद (Beni Prasad) के शब्दों में, ''सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का समान महत्व है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है।'' सामाजिक समानता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए ही भारतीय संविधान के तीसरा अध्याय, 17वें अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को दण्ड़नीय अपराध करार दिया गया है।

3. **आर्थिक समानता का अधिकार (Right to Economic Equality):–** वर्तमान समय में आर्थिक समानता का अभिप्राय यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गम्भीर असमानताएँ नहीं होनी चाहिए और सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का उचित वितरण किया जाना चाहिए। टॉनी (Tawney) के शब्दों में, ''आर्थिक समानता का अर्थ ऐसी आर्थिक समानता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके।'' लॉस्की (Laski) के अनुसार इसका तात्पर्य 'उद्योग में प्रजातन्त्र' से है।

स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से, बिना किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके।'' (It implies the power to expand the choice by the individual of his own way of life without being imposed prohibitions form outside.) स्वतन्त्रता के अधिकार के प्रमुख भेद निम्न हैं:–

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Individual Freedom)

मिल (Mill) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इसे सर्वोत्तम सद्‌गुण मानते हैं। स्वतन्त्रता के इस रूप का प्रतिपादन करते हुए जे०एस० मिल (J.S.Mill) कहते हैं कि, ''स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु होता है।'' (Over himself, over his own body, mind and soul, the individual is sovereign.)

विचार और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Speech and Expression):– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने और भाषण, लेख आदि के माध्यम से इन विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही सलाह देने, आलोचना करने, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। मिल्टन (Milton) कहते हैं, ''मुझे अपने अन्तर्मन के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतन्त्रता और अन्य स्वतन्त्रताओं से ज्यादा पसंद है।''

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Religious Freedom)

धार्मिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी प्रकार का धर्म न ही लादा जा सकता है। धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में रूसों (Rousseau) ने ठीक ही कहा है, ''सब धर्मों को, जो दूसरे धर्मों को सहन करते हैं, सहन किया जाना चाहिए, जब तक, उसके मत नागरिकता के कर्तव्यों का विरोध नहीं करते।''

समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Form Associations)

संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मन्त्र है। इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके।

सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

सम्पत्ति के अधिकार का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गये धन (Money) को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या संचित करके रख सकता है। इस सम्बन्ध में लॉस्की (Laski) ने लिखा है कि ''सम्पत्ति का अधिकार तभी तक है जब तक मेरी सेवा की दृष्टि से उसका कुछ महत्व है, उस वस्तु पर मेरा स्वामित्व नहीं हो सकता, जिसका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य के श्रम से हुआ हो। मेरा किसी वस्तु का

स्वामित्व न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, यदि उसके परिणामस्वरूप मुझे अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।'' एक अन्य स्थान पर लॉस्की (Laski) लिखते हैं कि ''धनवान तथा निर्धन में बंटा हुआ समाज रेत की नींव पर टिका होता है।''

रोजगार अथवा काम का अधिकार (Right to Work)

व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित वेतन प्राप्त होना चाहिए। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''अपना श्रेष्ठ रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब तक किसी व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं, अपितु उसे कार्य की उपयुक्त मजदूरी का अधिकार होना चाहिए।''

शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और प्रारम्भिक शिक्षा (Primary or Elementary education) की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए।

परिवार का अधिकार (Right to Family)

व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन–पोषण का अधिकार होना चाहिए तथा राज्य को इस सम्बन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए।

राजनीतिक अधिकार (Political Rights)

राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों में है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। साधारणतया एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं:–

वोट अथवा मतदान का अधिकार (Right to Vote)

वोटे देने अथवा मतदान को प्रजातन्त्र की आधारशिला कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकारिक विस्तृत बनाने की है इसलिए अधिकतर देशों में वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) को अपना लिया गया है।

चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Fight Election)

प्रजातन्त्र में शासक (Rules) और शासित (Ruled) का कोई भेद नहीं होना चाहिए और योग्यता सम्बन्धी कुछ शर्तों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।

सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)

व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए।

प्रार्थना पत्र व सलाह देने का अधिकार (Right to Petition)

लोकतन्त्रीय शासन का संचालन जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सरकार को प्रार्थना–पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत ही शासन की आलोचना करने का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक अधिकार (Political Rights) देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और देश में बसे हुए

विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है।

2.3.6 अधिकारों संबन्धी सिद्धान्त

(Theories of Rights)

अधिकारों सम्बन्धी समय–समय पर अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:–

अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त (National Theory of Rights)

अधिकार के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सबसे पुराना है और इसका प्रचलन यूनानियों (Greeks) के समय से है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसा कि आर्शीवादम (Ashirvadam) ने कहा है, ''अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी (Skin) का रंग इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है वे तो स्वयं सिद्ध है।'' (They are as much a part of man's nature as say the colour of his skin. They do not require an elaborate explanation or justification. They are selt-eriden.) हॉब्स (Hobbes), लॉक (Locke) रूसो (Rousseau) मिल्टन (Milton) वाल्टेयर (Voltair) टामस पेन (Thomas Paine), हर्बर्टस्पेन्सर (Herbert Spencer) ब्लैकस्टोन (Black Stone) आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। स्पेन्सर (Spencer) का विचार है कि समान स्वतन्त्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। लॉक (Locke) के शब्दों में ''सभी मनुष्य स्वतन्त्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रभाव (Influence or Effect or Impact)

इस सिद्धान्त ने फ्रांस और अमरीका की क्रान्ति के प्रेरक सिद्धान्त के रूप में कार्य किया था और इसके आधार पर ही स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व की घोषणा की गई थी।

आलोचना

(Criticism)

वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धान्त का अधिक महत्त्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धान्त की आलोचना की जा सकती है:–

प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक ('Natural' word is unclear and confusing)

प्राकृतिक सिद्धान्त में जिस 'प्राकृतिक' शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतया अनिश्चित और अनेकार्थक है। रिची (Ritchie) के अनुसार, ''प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ है जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (Complete Cosmes), सृष्टि (Nature), वह स्थान जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श (Ideal) या पूर्ण लक्ष्य (Aim) अपूर्ण (Incomplete) साधारण (Simple) या औसत (Average)।'' प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण यह सिद्धान्त भी नितांत अनिश्चित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है।

प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर मतभेद (Differences in the list of Natural Rights)

प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन–कोन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं है। इस सिद्धान्त के कुछ समर्थक व्यक्तिगत सम्पत्ति के (Individual or Personal Property) प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य पूर्ण आर्थिक

समानता को प्राकृतिक समझते हैं। लॉस्की (Laski) ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि ''अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची बनायी नहीं जा सकती।''

पारस्परिक विरोध (Self Contradictory)

प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का भी दोषी पाया जाता है। स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।

राज्य कृत्रिम संस्था नहीं (State is not an Artificial Creation)

इस सिद्धान्त के अनुसार, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया है, किन्तु वास्तविकता इसके ठीक विपरित है, क्योंकि राज्य एक कृत्रिम (Artificial) संस्था (Creation) नहीं है।

सामाजिक स्वीकृति के बिना अधिकार सम्भव नहीं (Lack of Social Sancity)

इस सिद्धान्त में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गयी है, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है। समाज में बिना सामाजिक स्वीकृति के अधिकार का अस्तित्व सम्भव नहीं हो सकता जैसा कि गिलक्राइस्ट (Gilchrist) ने कहा है कि ''अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।'' (Rights arise from the fact that man is a social being.)

महत्त्व (Importance)

प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है और जिनसे मनुष्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अमरीका, भारत, सोवियत रूस आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गयी है, वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। लॉर्ड (Lord) के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हों अथवा नहीं, परन्तु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक है।'' (Natural rights are those conditions, whether afforded by human agency or not which are required for the development of individuality.)

अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त

(Legal Theory of Rights)

यह सिद्धान्त प्राकृतिक सिद्धान्त के ठीक विपरित है और इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन् बनावटी है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति को केवल ही अधिकार हो सकते हैं, जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य अधिकारों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के कार्य करता है:–

1. अधिकारों की परिभाषा करना (To define Rights)
2. उनकी सीमाएँ निश्चित करना (To draw limitations on Rights)
3. उनके प्रयोग की व्यवस्था करना (To implement Rights)

कानूनी सिद्धान्त का समर्थक बैंथम (Bentham), ऑस्टिन (Austin), हॉब्स (Hobbes) हालैण्ड (Holland) आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार अधिकारों का मापदण्ड नैतिक (Moral) आधार न होकर वास्तविकता (Reality) के कारण, इस सिद्धान्त को वास्तविक अधिकार (Factual Right) कहा जा सकता है।

आलोचना
(Criticism)

अधिकारों के कानून सिद्धान्तों को भी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती हैः–

राज्य के आदेश काननों का निर्माण नहीं करते (Orders of State do not make laws)

राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानूनों का निर्माण नहीं हो जाता है। वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और रक्षा करता है। उदाहरण के लिए राजय का कोई भी कानून चोरी (Stealing), घूस खोरी (Bribery), और कालाबाजार (Black Marketing) को अधिकार के रूप में बदल नहीं सकता है। इस संबंध में नार्मन (Norman Wilde) ने उचित ही कहा है कि ''कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है, परन्तु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। अधिकारों का कानून का स्वरूप दिया जाए या उनका अपना अलग अस्तित्व है। (The law does not create our rights, but only recognise them and protect them, they are enforced because they are rights and are not rights because they are enforced.)

राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा (State will become autocratic)

यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है तो इसके परिणामस्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा और शासक अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अन्त कर देंगे। आर्शीवादम (Ashrivadam) ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''यह कहना कि एक मात्र राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है।''

महत्त्व (Importance)

यद्यपि इस सिद्धान्त की इस प्रकार से आलोचनाएँ की जाती हैं लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस सिद्धान्त में सत्य का अंश है।

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त
(Historical Theory of Rights)

इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का जन्म इतिहास में हुआ है। वे उन रीतिरिवाजों और प्रथाओं पर आधारित हैं जो एक लम्बे अर्से से चली आ रही है। ये रीति – रिवाज और प्रथाएँ ही मनुष्य के अधिकार बन जाते हैं। रिशे (Rishay) ने कहा है, ''ये अधिकार, जिनके विषय में यह परम्परा (Custom) होती है कि वे कभी उन्हें प्राप्त थे। रीति रिवाज प्राचीन कानून आदि हैं। (Those rights which people think they ought to have are just those rights which they have been a customed do have or which they have tradition of having once possessed custom in primitive law.)

अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त में कुछ सत्यता है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे कितने ही अधिकार रीति रिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ राज्य द्वारा स्वीकृत होने पर कानून बन गए, परन्तु सभी अधिकारों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाकिंस (Hawkins) का कथन है, ''इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती परन्तु केवल इतिहास पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता।'' (History can not be ignored, but history can not be realised on alone.)

अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धान्त
(Social Welfare Theory of Rights)

इस सिद्धान्त के समर्थकों में बैंथम (Bentham) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बैंथम (Bentham) के

अनुसार हमारे अधिकार वे हैं जो समाज के अधिक से अधिक मनुष्यों को प्रसन्नता (Greatest Happiness of the greatest number) दे सकें। दूसरे शब्दों में अधिकार समाज की देन हैं और वे सामाजिक कल्याण की दशाए हैं। लॉस्की (Laski) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। लॉस्की (Laski) का कथन है कि ''हमारे अधिकार समाज से स्वतन्त्र नहीं होते, वरन वे उनमें निहित है।'' (Out rights are not independent of society, but inherent in it.)

समाज कल्याण व अधिकारों का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लॉस्की (Laski) ने भी कहा है कि सार्वजनिक कल्याण के विरूद्ध मेरा कोई अधिकार नहीं क्योंकि इस प्रकार का अधिकार उस कल्याण के विरूद्ध होगा जो अन्तिम और आविछिन्न रूप से मेरे सम्बन्धित है। (I can not have right against the public welfare, for that ultimately is to give me rights against a welfare, which is ultimately and inseparably associated with my own.)

आलोचना (Criticism)

अधिकारों को सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी होना चाहिए, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता परन्तु इस सिद्धान्त के कुछ दोष भी हैं।

1. यह सिद्धान्त अस्पष्ट और अनिश्चित है (Unclear and Non definite) रू यह मालूम करना कि 'अधिक से अधिक मनुष्यों के हित का क्या तात्पर्य है बहुत कठिन है।
2. कभी–कभी सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण में विरोध पैदा हो जाता है।

अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त

(Idealist Theory of Rights)

यह सिद्धान्त अधिकारों के नैतिक पक्ष को महत्व देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, मनुष्य के आन्तरिक विकास के लिए बाह्म परिस्थितियाँ आवश्यक है। बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। हैनरिसी (Henrisi) के शब्दों में 'अधिकार वपे परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व और अस्तित्व और उसकी पूर्णता के निर्मित आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं की स्थिति के लिए आवश्यक है। (Rights are that which are really necessary for the maintenance of material conditions necessary to the existences and perfection of human personality.) लॉस्की (Laski) ने यह भी कहा है कि अधिकारों को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता हैः–

1. व्यक्ति का हित (Individual Welfare)
2. भिन्न भिन्न वर्गों का हित (Welfare of different Classes)
3. राष्ट्रीय हित

आलोचना (Criticism)

वह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि व्यक्ति क्या है? इसके अतिरिक्त यदि व्यक्तित्व की परिभाषा दे भी सकें तो यह कहना बहुत कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए किन–किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है।

निष्कर्ष (Conclusion)

ऊपर दिये गये भिन्न–भिन्न अधिकारों के सिद्धान्तों के वर्णन से स्पष्ट है कि इन सभी सिद्धान्तों में कुछ सत्यता है। प्रत्येक सिद्धान्त किसी एक ही तथ्य पर जोर देता है परन्तु यदि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त सबसे अच्छा सिद्धान्त है, क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अधिकार दिये जाएं।

2.3.7 निष्कर्ष

हाल ही में, राजनीतिक–सिद्धान्त के क्षेत्र में अधिकारों की अवधारणा का बड़ा महत्व हो गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजनीति का अर्थ और सरकार संबंधी अध्ययन के साथ अधिकारों का अध्ययन भी मुख्य विषय बन गया है।

2.3.8 मुख्य शब्दावली

1. स्वतंत्रता
2. अधिकार
3. सार्वभौमिक
4. कानूनी
5. कल्याणकारी
6. आदर्शवादी

2.3.9 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. ''राज्य अपने अधिकारों द्वारा माना जाता है।'' आधुनिक प्रजातन्त्रीय राज्य में लोगों को क्या अधिकार देने चाहिए?

   ("State is known by the Rights it maintains." What rights should be given in modern democratic states.)

2. अधिकारों के स्वरूप के विषय में भिन्न–भिन्न सिद्धान्त कौन से हैं? इनमें से कौन सा सिद्धान्त सर्वाधिक सन्तोषजनक है और क्यों?

   (What are the various theories regarding the nature of rights? Which of these is most satisfactory and why?)

3. अधिकारों की परिभाषा बताए। आधुनिक राज्य में नागरिकता का प्राप्त अधिकारों के भिन्न–भिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।

   (Define rights and discuss the various kinds of rights enjoyed by the citizens in the modern state.)

4. अधिकारों के भिन्न–भिन्न सिद्धान्तों का वर्णन करें। उनमें से कौन सा सिद्धान्त सर्वाधिक संतोषजनक है?

   (Describe the different theoreies of Rights. Which of them is most satisfactory?)

5. अधिकारों की परिभाषा बताएँ। इसकी भिन्न–भिन्न किस्मों (प्रकारों) की व्याख्या करें। (Define rights – Discuss its various kinds.)

6. अधिकार क्या होते हैं? एक नागरिक कौन से राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार आधुनिक राज्य में प्राप्त करता है?

   (What are rights? Describe the civil and political rights that a citizen enjoys in a modern state.)

7. अधिकारों का उदारवादी– व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें। (Critically examine the Libeal individualist theory of Rights.)

8. अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धान्त का क्या अर्थ है। इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ कौन सी है?

   (What is mean by Marxist theory of Rights? What are the important characteristics of this theory?)

2.3.10 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.4 स्वतन्त्रता

(Liberty)

डॉ० राधा कृष्णन (Dr. Radha Krishnan) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन् एक सर्वोच्च साध्य है।'' मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतन्त्रता का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बर्ट्रेण्ड रसेल (Bertrand Russell) कहते हैं कि ''स्वतन्त्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृति है इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण सम्भव है। मैजिनी (Mazzini) का कथन है कि ''स्वतन्त्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। अतएव आपको स्वतन्त्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती हो उससे जैसे भी बने, अपनी स्वतन्त्रता छीन लेना आपका कर्त्तव्य है।''

2.4.1 परिचय

उदारवादी विचार के एक मर्म–सिद्धांत के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा सर्वाधिक सामान्य तौर पर नियंत्रण–अभाव के रूप में समझी जाती है। स्वतन्त्रता–संबंधी धारणा आधुनिक यूरोप में नए सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक संबधों की स्थापना के प्रसंग में विकास हुआ। इस प्रकार, स्वतन्त्रता की धारणा का नियंत्रण–अभाव या व्यक्ति की स्वायत्तता–क्षेत्र के रूप में विकास हुआ। हॉब्स, लॉक एवं रूसो जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धान्तों ने नियंत्रणों की अविद्यानता के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा सामने रखी।

2.4.2 उद्देश्य

1. स्वतन्त्रता के आधुनिक व सामाजिक सिद्धान्त में बुनियादी लोकतान्त्रिक मूल्यों को जानना।
2. स्वतन्त्रता के विभिन्न पहलुओं, धारणाओं, औचित्य एवं सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे।
3. स्वतन्त्रता की प्रमुख विशेषताओं को जानना।
4. आधुनिक लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में स्वतन्त्रता संबंधी संरक्षण को जान सकेंगे।
5. स्वतन्त्रता व कानूनी संबंधी धारणाओं के आपसी संबंध के बारे में जानना।

2.4.3 स्वतन्त्रता का अर्थ
(The Meaning of Liberty)

स्वतन्त्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी (Liberty) कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'लिबर' (Liber) से हुई 'लिबर' का अर्थ है – मुक्ति अर्थात् 'बन्धनों का अभाव' (Absence of Restraints) इसको अभिप्राय यह हुआ कि लोगों को 'इच्छानुसार कार्य करने की आजादी' है। वास्तव में स्वतन्त्रता (Liberty) की यह परिभाषा बहुत भ्रमपूर्ण है। स्वतन्त्रता का अर्थ यदि यह लिया जाए कि 'हर बन्धन एक बुराई है।' (All restraints are Evil) तो स्वतन्त्रता स्वेच्छाचार (Licence) का ही दूसरा नाम बन जाएगी। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को सदा मनचाहा कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाये रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके।''

स्वतन्त्रता की परिभाषाएँ
(Difinitions of Liberty)

'स्वतन्त्रता' शब्द की परिभाषा अलग–अलग विद्वानों ने अलग–अलग ढंग से की है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैः–

1. सीले (Seeley) का कथन है कि, ''स्वतन्त्रता अति शासन का उल्टा रूप है।'' (Liberty is the opposite of over governments.)
2. कोल (Cole) के मतानुसार ''बिना किसी रूकावट के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतन्त्रता है।'' (Liberty is the freedom of the individual to express without external hindrance to his personality.)
3. टी०एच०ग्रीन (T.H. Green) का कथन है, कि ''स्वतन्त्रता उन कार्यों को करने या उन वस्तुओं का उपयोग करने की शक्ति है जो करने और उपभोग करने योग्य है।'' (Freedom is the positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying and that too, something we do or enjoy with others.)
4. गैटल (Gettel) के शब्दों में स्वतन्त्रता से अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे करने योग्य कार्यों को करने की छूट प्राप्त होकर उससे आनंद मिलता है। (Liberty is the positive power of doing the enjoying those things which are worthy of enjoyment and worth.)
5. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता का अर्थ उस वातावरण को कायम करना है जिसमें व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हों।'' (Liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.)
6. हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) का कहना है कि, ''प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतन्त्र है जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन उससे किसी दूसरे मनुष्य की वैसी ही स्वतन्त्रता नष्ट न होती हो।'' (Every man is free to do what he wills, provided he does not in fringe on the equal freedom of any other man.)
7. मेक्कनी (Mackeni) का कथन है कि ''स्वतन्त्रता सभी तरह की पाबन्दियों का अभाव न होकर अनुचित पाबन्दियों के स्थान पर उचित पाबन्दियों की स्थापना है।'' (Freedom is not the absence of all restraints, first rather the subsitution of rational over for the irrational.)
8. रैम्जे मूर (Remsay Muir) के शब्दों में, ''स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने विचार के अनुसार सोचने, उसके प्रकट करने और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति का सुरक्षित उपयोग करने से है। (Liberty means to secure enjoyment by individuals and by associations of the power to think their own way under the shelter of the law, provided they do not impair the corressponding rights of others.)
9. सी.डी. बर्न्स (C.D. Burns) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता का अर्थ योग्यता और व्यक्ति का पूर्ण विकास है।'' (Liberty is to grow to one's nature height and to develop one's ability.)

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता मनमानी करने का अधिकार नहीं है। स्वतन्त्रता सभी प्रकार के प्रतिबन्धों की अनुपस्थिति भी नहीं है और न ही स्वतन्त्रता अनियन्त्रित शक्ति के प्रयोग को कह सकते हैं। जैसा कि बार्कर (Barker) ने कहा है, कि ''जिस तरह बदसूरती का न होना सुन्दरता नहीं है उसी तरह बन्धनों का न होना स्वतन्त्रता नहीं है।

2.4.4 स्वतन्त्रता की विशेषताएँ (Characterstics of Liberty)

स्वतन्त्रता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **समान (Equal)**: स्वतन्त्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है।
2. **करने योग्य कार्य (Worth doing)**: करने योग्य कार्य करने की शक्ति ही स्वतन्त्रता है।

3. **उचित वातावरण (Congenial Environment)**: व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए उचित वातावरण ही स्वतन्त्रता है।

4. **बन्धनों का अभाव (Absence of Restraints)**: स्वतन्त्रता सभी प्रकार के बन्धनों का अभाव नहीं है।

5. **समाज के विरूद्ध नहीं (Not against Society)**: स्वतन्त्रता का प्रयोग समाज के विरूद्ध नहीं किया जा सकता।

6. **उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था (Provision for genuine restraints)**: 'अनुचित प्रतिबन्धों' के स्थान पर 'उचित प्रतिबन्धों' की व्यवस्था ही स्वतन्त्रता है।

7. **समाज से बाहर नहीं (Not outside the Society)**: स्वतन्त्रता समाज के अन्दर ही मिल सकती है, समाज से बाहर नहीं।

2.4.5 स्वतन्त्रता के स्वरूप

(Nature of Liberty)

स्वतन्त्रता के दो रूप (Aspects) हैं। जो कि इस प्रकार हैः–

नकारात्मक रूप (Negative Aspect of Liberty)

स्वतन्त्रता के नकारात्मक पहलू का अर्थ है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंधन न हो और उसे अपनी इच्छानुसार प्रत्येक कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस विचार का समर्थन हॉब्स (Hobbes) स्पेन्सर (Spencer) तथा जे०एस० गिल (J.S. Mill) आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। हॉब्स (Hobbes) ने लिखा है ''स्वतन्त्रता का अर्थ बन्धनों का अभाव है।'' (Liberty means the absence of restrains.) इसी विचार का समर्थन करते हुए रूसो (Rousseau) ने लिखा है, ''मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है परन्तु वह बन्धनों में जकड़ा हुआ है।'' जे०एस०मिल (J.S.Mill) के अनुसार, ''व्यक्ति के जो कार्य स्वयं से सम्बन्धित (Self regarding actions) हैं, उन पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिए।

सकारात्मक रूप (Positive Aspect of Liberty)

कई लेखकों द्वारा स्वतन्त्रता के नकारात्मक स्वरूप की आलोचना की गई है। उनका कहना है कि स्वतन्त्रता का अर्थ 'बन्धनों का अभाव नहीं' बल्कि 'अनुचित बन्धनों' का अभाव है। बार्कर (Barker) ने लिखा है, कि ''जिस प्रकार कुरूपता का न होना सुन्दरता नहीं उसी प्रकार बन्धनों का न होना स्वतन्त्रता नहीं है।'' (As beauty is not the absence of ugliness so liberty is not the absence of restraint.) इसी प्रकार मैकेंजी (Mackenzie) ने लिखा है कि ''स्वतन्त्रता सभी प्रकार के बन्धनों के स्थान पर उचित प्रतिबन्धों को स्वतन्त्रता कहते हैं।'' (Freedom is not the absence of all restraints, but rather the substitution of rational ones for the irrational.)

2.4.6 स्वतन्त्रता का प्रकार

(Kinds of Liberty)

माण्टेस्क्यू (Montesquieu) ने एक स्थान पर कहा है कि ''स्वतन्त्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों, और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो।'' माण्टेस्क्यू (Montesquieu) के इस कथन का कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैंः–

प्राकृतिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty)

इस धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति (Nature) की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र पैदा होता है। इसी विचार के व्यक्त करते हुए रूसों (Rousseau) ने लिखा है कि ''मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है किन्तु सर्वत्र यह बन्धनों से बंधा हुआ है।'' (Man is born free but every where he is in chains.) समझौतावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमरीका की स्वाधीनता घोषणा (Declaration of American Independence) और 'फ्रांस की राज्य क्रान्ति' (French Revolution) में इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया गया था।

आलोचना
(Criticism)

भ्रमात्मक (Confusing)

प्राकृतिक स्वतन्त्रता की यह धारणा पूर्णतया भ्रमात्मक (Confusing) है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता की स्थिति में तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is right) का व्यवहार प्रचलित होगा। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतन्त्रता।

असीमित स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव नहीं (Unlimited Liberty Impossible in Civilised Society)

सभ्य समाज में रहकर असीमित अधिकारों का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतन्त्रता को सीमित करना जरूरी है।

महत्त्व (Importance)

इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका पर्याप्त महत्व है कि यह सिद्धान्त इस बात पर प्रकाश डालता है कि सब व्यक्ति समान हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास हेतू उन्हें समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Liberty)

इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिनका सम्बन्ध केवल उसके स्वयं के अस्तित्व से हो इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मलित किया जा सकता है। मिल (Mill) का कहना है कि ''मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही, किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु है।'' (The role and for which man kind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their member is self protection – over himself, over his own body, mind and soul, the invididual is sovereign.)

आलोचना (Criticism)

व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उससे ही सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

महत्त्व (Importance)

इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य ही है कि जिन कार्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति का खर्च से हो, उनके विषय में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।

नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)

नागरिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतन्त्रताओं से है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करना होता है। अमेरिका में संविधान में साफतौर पर लिखा गया है कि ''कानून की उचित प्रक्रिया के बगैर किसी भी मनुष्य को उसके जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।'' इसी तरह भारत में भी नागरिकों को नागरिक स्वतन्त्रता दी गई है। लेकिन निवारक नजरबन्दी अधिनियम (Preventive Detention Act) भारत सुरक्षा अधिनियम (Defence of India Rules) और आन्तरिक सुरक्षा कानून (Maintenance of Internal Security Act) आतंकवादी कार्यवाही नजरबन्दी अधिनियम (Terrorist Act) आतंकवादी कार्यवाही नजरबन्दी अधिनियम (Terrorist, Defence Security Act) आदि के द्वारा समाज व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ स्थितियों में नागरिकों की स्वतन्त्रता पर रोक भी लगाई जा सकती है। सन् 2002 में भारत में आतंकवाद विरोधी कानून, पोटा (POTA) द्वारा नागरिकों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जा सकती है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)

अपने राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतन्त्रता को राजनीतिक स्वतन्त्रता कहा जाता है। लॉस्की (Laski) के अनुसार ''राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है।'' (The power to be active in the affairs of the state.) लीकॉक राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतन्त्रता (Constitutional Liberty) से लेते हैं। जिसका अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छानुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक उनके प्रति उत्तरदायी हों।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैंः–

1. मतदान देने का अधिकार (Right to Vote)
2. निर्वाचित होने का अधिकार (Right to get Elected)
3. उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)
4. सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार (Right to criticise Government and its Policies)

इस अधिकारों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल एक प्रजातन्त्रात्मक देश में ही प्राप्त की जा सकती है।

आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)

वर्तमान समय में आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो, तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। लॉस्की (Laski) के अनुसार ''आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति की बेरोजगारी (Unemployment) और अपर्याप्तता (Insufficient) के निरन्तर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुँचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।'' (By economic liberty, Laski means, "Security and the opportunity of find reasonable siginificance in the earning of daily bread. I must that is be free from the constant fear of unemployment and insuifficiency, which perhaps be safeguard against the wants of tomorrow.)

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (National Liberty)

प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतन्त्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतन्त्रता सम्बन्धी इस व्यवस्था को 'राष्ट्रीय स्वतन्त्रता' कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परम्परा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतन्त्रता राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो।

नैतिक स्वतन्त्रता (Moral Liberty)

व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से पराधीन हो, तो उसे स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतन्त्रता की वास्तविक एक महान स्वतन्त्रता है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिससे वह अनुचित लोभ–लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे (Comte) के विचार मे, 'व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतन्त्रता है।''

प्लेटो (Plato), अरस्तू (Aristotle), ग्रीन (Green), बोसांके (Bosnaquet), काण्ट (Kant) ने इस बात पर बल दिया है कि नैति स्वतन्त्रता से ही मनुष्य का विकास सम्भव है।

2.4.7 स्वतन्त्रता के संरक्षण (Safeguards of Liberty)

कहावत है कि हाथी खरीदना तो आसान है लेकिन उसका पालन–पोषण कठिन है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतन्त्रता बनाये रखना है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतन्त्रता को सदैव ही संकट बना रहता है।

विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं (Conditions) का होना आवश्यक है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैंः–

आदर्श कानून (Ideal or Good Laws)

व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया कानून व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान कर सकें।

विशेषाधिकार का अन्त (Absence of Special Rights and Privileges)

जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति या सम्पत्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभी नागरिकों की स्वतन्त्रता की पूर्ण नहीं हो पाती है। स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अन्त नितान्त आवश्यक है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिये गये हो तो उस दशा में जनसाधारण स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता।''

लोकतन्त्रीय शासन (Democratic Form of Government)

व्यक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किन्तु यदि लोकतन्त्रीय (Democratic) शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतन्त्रीय (Democracy) जनता शासित होने के साथ–साथ शासक (Ruler) भी होती है और शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होने

के कारण स्वतन्त्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतन्त्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य के विरूद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं वरन् राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैण्ड, फ्रांस आदि राज्यों के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है।

स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालय (Independent and Impartial Judiciary)

नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय स्वतन्त्र व निष्पक्ष हों और न्यायालयों के कार्यों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के अभाव में स्वतन्त्रता एक ढकोसला (Myth) मात्र बनकर रह जाती है।

सतत् जागरूकता (Eternal Vigilance)

स्वतन्त्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत् जागरूकता ही है। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करें। कहावत है कि ''सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है।'' (Enternal Vigilance is the Price of Liberty.) लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''नागरिकों की महान् भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतन्त्रता की वास्तविक सुरक्षा है।'' इस सम्बन्ध में थामस जैफरसन (Thomas Jafferson) के शब्द महत्वपूर्ण हैं कि, ''कोई भी देश तब तक अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहाँ जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती रहे।'' (Which country can preserve its liberties, if its rulers are not warned from time to time that the people preserve the spirit of resistance.)

शक्तियों का प्रथक्करण तथा अवरोध और सन्तुलन (Separation of Powers; Checks and Balances)

स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति प्रथक्करण (Separation of Power) तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं सन्तुलन के सिद्धान्त (Checks and Balances) को अपनाना आवश्यक है। शक्ति प्रथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध है, अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे स्वतन्त्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

निष्पक्ष और स्वतन्त्र प्रैस (Impartial and Independent Press)

स्वतन्त्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतन्त्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाचार–पत्र (News Paper) स्वतन्त्र हैं, तो उनके द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है, जनता में स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है।

2.4.8 स्वतन्त्रता और कानून में सम्बन्ध (Relation Between Law and Liberty)

स्वतन्त्रता से अभिप्राय अथवा स्वतन्त्रता का अर्थ एक व्यक्ति का पूर्ण मनमानी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अराजकता फैल जाएगी। वास्तविक स्वतन्त्रता केवल उसी समय सम्भव हो सकती है, जबकि मनुष्य कानून की सीमाओं में रहकर तथा उसका पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, कानून राज्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं और वास्तव में एक राज्य की प्रभुसत्ता उसके कानूनों द्वारा ही प्रकट होती है। इसलिए प्रभुसत्ता, कानून तथा स्वतन्त्रता के विरोधी है। विद्वानों ने स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध के विषय में दो दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित हैंः–

स्वतन्त्रता और कानून परस्पर विरोधी है (Liberty and Laws are Opposed to Each Other)

पहले दृष्टिकोण के अनुसार, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कानून व स्वतन्त्रता को एक दूसरे का विरोधी मानती है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अधिकांश राजनीतिक विचारक यह मत रखते हैं कि स्वतन्त्रता और कानून में परस्पर विरोध है। इस सम्बन्ध में विलियम गोडविन (William Godwin) ने कहा है, ''कानून स्वतन्त्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है।'' इसी प्रकार कोकर (Coker) का भी यही विचार है, ''राजनीतिक सत्ता अनावश्यक तथा अवांछनीय है।''

उपरलिखित सम्बन्ध में इन विचारकों के मत निम्नलिखित हैंः–

1. **व्यक्तिवादियों का मत (View of Individuals):** 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जोर दिया और यह कहा कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर एक प्रतिबंध है। इसलिए व्यक्ति की स्वतन्त्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे। जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने भी कहा है कि, ''सरकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के शारीरिक अथवा मानसिक विकास के कुछ न कुछ भाग को अवरूद्ध कर देता है।'' (Government interference, starves the development of some Portion of the bodily or menal development.)
2. **अराजकतावादियों का मत (View of Anarchists)**: अराजकतावादियों के अनुसार, राज्य प्रभुसत्ता का प्रयोग करके नागरिकों की स्वतन्त्रता को नष्ट करता है। अतः अराजकतावादियों ने राज्य को समाप्त करने पर जोर दिया। प्रोधा (Proudha) ने विचार व्यक्त किया है, ''मनुष्य पर मनुष्य का किसी भी रूप में शासन अत्याचार है।'' (Government over man in any form in oppression.)
3. **बहुलवादियों का मत (View of Pluralists)**: बहुलवादियों का विचार है कि राज्य के पास जितनी अधिक सत्ता होती है, उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता उतनी ही कम होती है, उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता उतनी ही कम होती है, इसलिए वे राज्य सत्ता को विभिन्न समुदायों में बांटने के पक्ष में है। इस प्रकार बहुलवादी राज्य को भी एक संस्था मानते हैं और उसे अन्य संस्थाओं से अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं है। लॉस्की (Laski) ने कहा है, ''असीमित और अनुत्तरदायी राज्य मानवता के हितों के विरूद्ध है।'' (Unlimited and irresponsible state is incompatiable with the interest of humanity.")
4. **सिन्डी कलिस्टों का मत (View of Syndicatists)**: सिन्ड़ीकलिस्ट, अराजकतावादियों की तरह राज्य को पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनके मतानुसार राज्य सदैव पूँजीपतियों का समर्थन करता है। जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

स्वतन्त्रता और कानून एक–दूसरे के विरोधी नहीं (Liberty and Laws are not Opposed to Each Other)

स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ये दोनों एक–दूसरे के विरोधी न होकर एक–दूसरे के पूरक (Complimentary) हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना खतरे में पड़ जाएगा। इस दृष्टिकोण के समर्थक

समाजवादी और आदर्शवादी है। इन विचारकों का कहना है कि कानून स्वतन्त्रता का हनन नहीं करता बल्कि उसकी रक्षा करता है। इसलिए लॉक (Locke) ने ठीक ही कहा है, ''जहाँ कानून नहीं है, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं है।'' हॉकिन्स (Hockins) ने भी लिखा है, ''व्यक्ति जितनी अधिक स्वतन्त्रता चाहता है। उतना ही उसे सत्ता के आगे झुकना पड़ता है।'' (The greatest the liberty a person desires the greator is the authority to which he should submit himself.) इस दृष्टिकोण का विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रकार हैः–

कानून स्वतन्त्रता का रक्षक है (Law Safeguards Liberty)

स्वतन्त्रता का अर्थ सभी के लिए सीमित स्वाधीनता है। अपने दायरे में रहकर अपना विकास करना ही स्वतन्त्रता है, जिसका अभिप्राय है कि सभी पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं, जिससे वे एक–दूसरे की स्वतन्त्रता न छीन सके। राज्य अपनी सत्ता कानून द्वारा प्रदर्शित करता है, इसलिए कानून सबकी स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक होते हैं। कानून स्वतन्त्रता के विरोधी नहीं, बल्कि उसकी पहली शर्त होते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए लॉक (Locke) ने कहा था कि, ''जहाँ कानून नहीं होते वहाँ स्वतन्त्रता नहीं होती।'' (Where there is no law there is no freedom.)

कानून स्वतन्त्रता की पहली शर्त है (Law is the First Condition of Liberty)

मोन्टेस्क्यू (Montesquieu) ने स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए कहा है कि, ''स्वतन्त्रता वे सभी कार्य करने का अधिकार है जिनको करने की अनुमति कानून देता है।'' रूसो (Rosseau) ने सामान्य इच्छा (General Will) के मानने को ही वास्तविक स्वतन्त्रता कहा है। विलोबी (Willoughby) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता केवल वहीं सुरक्षित है जहाँ बंधन है।'' (Freedom exists only where there is restraint) रिशी (Ritchie) के शब्दों में, ''कानून आत्मविकास के सुअवसर के रूप में स्वतन्त्रता को सम्भव बनाते हैं और सत्ता के अभाव में इस प्रकार की स्वतन्त्रता सम्भव नहीं हो सकती।'' (Liberty in the sense of positive opprotunity for self-developments is creation of law and not something that could be apart from the action of the state.) स्वतन्त्रता की प्रकृति में ही प्रतिबन्ध है और प्रतिबन्ध इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व सुविधाएँ प्राप्त हो सके। एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता या सामाजिक हित में बाधक न बन सकें। स्वतन्त्रता को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है कि उसे सीमित किया जाए। अरस्तू (Aristoto) के शब्दों में, ''मनुष्य अपनी पूर्णतः में सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह कानून व न्याय से पृथक हो जाता है सबसे निकृष्ट प्राणी बन जाता है।''

आदर्शवादियों के विचार (View of Idealist)

आदर्शवादी (Idealists) विचारकों ने कानून व स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार किया है। हिगल(Hegal) के अनुसार ''राज्य में रहते हुए कानून के पालन में ही स्वतन्त्रता निहित है।'' हिगल (Hegal) ने राज्य को सामाजिक नैतिकता की साक्षात् मूर्ति कहा है, और कानून चूंकि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अतः नैतिक रूप से भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता कानून के पालन में ही निहित है। टी०एच० ग्रीन (T.H. Green) के अनुसार, ''हमारे अधिकांश कानून हमारी सामाजिक स्वतन्त्रता को कम करते हैं, परन्तु इनका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने गुणों का पूर्ण विकास कर सकता है।'' (Much modern legislation interferes with the freedom of country in order to maintain the conditions without which free exercise of the human facilities is impossible.) स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और व्यक्तित्व का विकास कानून के पालन द्वारा ही हो सकता है। रूसो (Rousseau) ने कहा है, ''ऐसे कानून का पालन, जो हम स्वयं अपने लिए निश्चित करते हैं, वही स्वतन्त्रता है।'' (Obedience to a law, which we precribe to ourselves is liberty.)

2.4.9 स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणाएँ

स्वतन्त्रता सम्बन्धी जे.एस. मिल की धारणा

जे.एस. मिल कृत **ऑन लिबर्टी** 1960 के दशक में अकादमिक बहसों में प्रभावशाली रही। मिल की पुस्तक को स्तन्त्रता सम्बन्धी नकारी अवधारणा की एक व्याख्या के रूप में देखा जता है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता हेतु मिल के तर्कों के आधार में प्रथा के लिए एक सख्त नफरत का भाव छिपा है, और जिसको कानूनी नियमों व मानदण्डों हेतु युक्तियुक्त रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। कभी–कभी यह भी तर्क दिया जाता है कि मिल के अनुसार कोई भी स्वतन्त्र कार्य, चाहे वह कितना भी अनैतिक हो, अपने में सद्‌गुण का कुछ तत्त्व रखता है, इस तथ्य से गुजरकर कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पादित किया गया हो। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुराई माना, उन्होंने नियंत्रणों को पूरी तरह अतर्कसंगत नहीं माना। फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतन्त्रता के पक्ष में एक परिकल्पना हमेशा रहती है। स्वतन्त्रता विषयक कुछ नियंत्रणों को, इसी कारण, उनके द्वारा सही ठहराया जाना पड़ा जो उन्हें व्यवहार में लाये।

मिल के अनुसार, स्वतन्त्रता का उद्‌देश्य था 'व्यक्तित्व' हासिल करने को बढ़ावा देना था। व्यक्तित्व (individuality) का अभिप्राय हर मानव–गुण सम्पन्न व्यक्ति के विशिष्ट एवं अन्य लक्षण से है, और आजादी का अर्थ है, हर व्यक्तित्व का बोध, यथा निजी विकास एवं आत्म–निश्चय। मनुष्यों में व्यक्तित्व के गुण ने ही उन्हें निष्क्रिय की बजाय सक्रिय बनाया, साथ ही सामाजिक व्यवहार की वर्तमान रीतियों का छिन्द्रान्वेषी भी, ताकि वे जब तक परम्पराओं को तर्कसंगत न पायें, उन्हें स्वीकार न करें। मिल के तानेबाने में स्वतन्त्रता इसीलिए मात्र नियंत्रण–अभाव के रूप में नहीं, बल्कि कुछ वांछित प्रवृत्तियों की सुविवेचित वृद्धि (deliberate cultivation) में नजर आती है। यही बात है जिसके कारण मिल को अक्सर स्वतन्त्रता की सरकारी संकल्पना की ओर आकर्षित होते देखा जाता है। स्वतन्त्रता संबंधी मिल की संकल्पना का मूल विकल्प की धारणा में भी है। यह बात उनके इस विश्वास से प्रमाणित होती है कि वह व्यक्ति जो 'अपने लिए स्वयं की जीवन–योजना को चुनने' का अधिकार दूसरों को दे देता है, 'व्यक्तित्व' अथवा आत्म–निश्चय संबंधी मानसिक शक्ति नहीं दर्शाता। यह मात्र जो मानसिक शक्ति रखता लगता है वह 'अनुकरण' की 'वानर सदृश' (apelipe) मानसिक शक्ति है। दूसरी ओर, वह व्यक्ति 'जो स्वयं के लिए योजना चुनता है, अपनी सभी मानसिक शक्तियों को काम में लाता है' (1974, पृ० 123)। अपने व्यक्तित्व को स्पष्टतया अनुभव करने के लिए, और उसके द्वारा स्वतन्त्रता की स्थिति प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक था कि व्यक्तिजन दबावों अथवा मानदण्डों व प्रथाओं का विरोध करें जो आत्म–निश्चय में बाधक थे। मिल का, तथापि, यह विचार भी था कि विरोध करने व स्वतन्त्र विकल्प चुनने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। शेष जन 'वानर–सदृश अनुकरण' में विश्वास रखने वाली विषयपवस्तु है, जिसके द्वारा वे परतंत्रता की दशा में रहते हैं। स्वतन्त्रता–संबंधी मिल की अवधारणा को इसी कारण अभिजातवर्गीय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का उपभोग मात्र एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है, न कि व्यापक रूप से जन–साधारण द्वारा।

अन्य उदारवादियों की ही भाँति, मिल ने व्यक्ति व समाज के बीच सीमा–निर्धारण पर बल दिया। वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर तर्कसंगत अथवा न्यायोचित प्रतिबंधों के बारे में बात करते हुए, मिल ने आत्म–सम्मानजनक एवं अन्य–सम्मानजनक कार्यों के बीच भेद किया, यथा वे कार्य जो सिर्फ व्यक्ति–विशेष को प्रभावित करते थे, और वे कार्य जो आम समाज को प्रभावित करते थे। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप को सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने के लिहाज से ही सही ठहराया जा सकता था। उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वयं प्रभावित करते थे, व्यक्ति संप्रभु था। जो सिर्फ सामाजिक निग्रहों की इस प्रकार की समझ ऐसे समाज की धारणा प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति व समाज के बीच संबंध 'पितृसत्तात्मक' नहीं होता, यथा, व्यक्ति चूँकि अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ पारखी होता है, कानून व समाज किसी व्यक्ति के 'सर्वश्रेष्ठ हितों' को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

इसी प्रकार, यह धारणा कि किसी कार्य पर सिर्फ तभी नियंत्रण लगाया जा सकता है यदि यह दूसरों को हानि पहुँचाता हो, इस धारणा को नियम–विरूद्ध कहकर घोषित करती है कि कुछ कार्य अन्तर्भूत (intrinsically) रूप से अनैतिक होते हैं और इसी कारण इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वे किसी और को प्रभावित करते हैं, अवश्य ही सजा देकर सुधारे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मिल का तानाबाना 'उपयोगितावाद' को अप्रासंगिक कहकर घोषित करता है, जैसा कि बैन्थम द्वारा कहा गया है, जो कि हस्तक्षेप को सही ठहरायेगा यदि वह आम हित को अधिकतम सीमा तक बढ़ाता है। तथापि, मिल के विचार में व्यक्ति व समाज के बीच सीमांकन इस अर्थ में कठोर नियम–निष्ठ नहीं है कि सभी कार्य दूसरों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते ही हैं, और मिल का मानना यह भी था कि उसका सिद्धान्त दूसरों के आत्म–सम्मानजनक व्यवहार के संबंध में किसी नैतिक उदासीनता का धर्मोपदेश नहीं करता, साथ ही उन्होंने महसूस किया कि अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए अनुभव का प्रयोग अनुमति के योग्य है। इसी तरह, मिल का सामाजिक लाभ को प्रोत्साहन देने हेतु स्वतन्त्रता के सहायक मूल्य में अटूट विश्वास था। यह बात विचार, चर्चा एवं अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतन्त्रता तथा सभा व संस्था हेतु अधिकार के लिए उसके तर्कों के विषय में खासतौर पर सही है। मिल ने महसूस किया कि खुली चर्चा पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए जाने चाहिए, क्योंकि विचारों की खुली प्रतिस्पर्धा से सच्चाई उजागर होगी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतन्त्रताओं संबंधी आज की फिहरिस्त में, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को शायद एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में आर्थिक स्वतन्त्रता की बनिस्पत अधिक महत्व दिया जाता है। लोगों के बीच मुक्त विनिमय निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता–व्यवहार है और एक समाज, जिसने सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं को वर्जित कर इसे ही स्वीकृत किया हो, तिस पर भी अपेक्षाकृत स्वतन्त्र होगा। (देखें नॉर्मन बैरी, ऐन इण्ट्रोडक्शन टु मॉडर्न पॉलिटिकॅल थिअरी, अध्यायः लिबर्टी)।

ईसाइया बर्लिन तथा 'टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी'

अपनी नई साहित्यिक रचना *टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी* (प्रथम प्रकाशितः 1958) में ईसाइया बर्लिन स्वतन्त्रता संबंधी नकारी व सकारी धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यथा सामाजिक प्रसंग में निग्रह–अभाव के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा का उसकी कार्य–प्रणाली से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ। बर्लिन के अनुसार, स्वतन्त्रता संबंधी 'नकारी' धारणा को इस प्रश्न का जवाब देकर समझा जा सकता हैः 'वह क्षेत्र क्या है जिसके भीतर अधीनस्थ – एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह – है अथवा उसे, वह जो दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बगैर कर सकने अथवा बन जाने में सक्षम हो, करने के लिए अथवा बनने के लिए छोड़ दिया जाये?, (1969, पृ० 121)। दूसरी ओर, 'सकारी' अर्थ इस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित हैः 'नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप का स्रोत क्या, अथवा कौन, है जो किसी व्यक्ति को उस की बजाय यह करने, अथवा बनने, को निश्चित कर सकता है?' (1969, पृ० 122)

सरकारी स्वतन्त्रता महज अकेले छोड़ दिए जाने के रूप में नहीं, प्रत्युत 'स्वयं–प्रभुत्व' के रूप में आजादी में हस्तक्षेप नहीं करती। इस सिद्धान्त में स्वयं–संबंधी एक विशेष सिद्धांत शामिल है। व्यक्तिगत विशेषता (personality) एक उच्च और एक निम्न व्यक्तित्व में विभाजित होती है। उच्च व्यक्तित्व ही किसी व्यक्ति के यथार्थ एवं युक्तिपरक दीर्घकालीन लक्ष्यों का स्रोत होता है, जबकि निम्न व्यक्तित्व उसकी उन युक्तिहीन इच्छाओं को मनोविनोद प्रदान करता है, जो अस्थायी और अल्पकालिक प्रवृत्ति की होती है। कोई व्यक्ति उस हद तक ही स्वतन्त्र है जहाँ तक कि उसका उच्च व्यक्तित्व उसके निम्न व्यक्तित्व के वश में है। तदनुसार, एक व्यक्ति बाहरी बलों द्वारा अवरुद्ध न किए जाने के अर्थ में स्वतन्त्र हो सकता था, परन्तु वह युक्तिहीन लालसाओं का दास ही रहता, जैसे कि एक नशेड़ी, एक शराबी अथवा एक विवश जुआरी को परतंत्र ही कहा जायेगा। इस अवधारणा का मुख्य लक्षण है, इसका खुले रूप से मूल्यांकनकारी स्वभाव, इसका प्रयोग वांछित माने जाने वाली जीवन–रीति से विशेष रूप से जुड़ा है। सकारी स्वतन्त्रता संबंधी धारणा में व्यक्तित्व का एक विशेष हस्तक्षेप शामिल है और वह सिर्फ यह मानकर नहीं चलती कि

गतिविधि का एक कार्यक्षेत्र होता है, जिसकी ओर ही व्यक्ति स्वयं को लक्ष्य–निर्देशित होता है तो वह स्वतन्त्र किया जा रहा होता है। सकारी स्वतन्त्रता संबंधी बर्लिन की धारणा के छिद्रान्वेषी यह महसूस करते हैं कि सकारी स्वतन्त्रता में विश्वास इस धारणा को भी लेकर चलता है कि अन्य सभी मूल्य – समानता, अधिकार, न्याय आदि – उच्च स्वतन्त्रता संबंधी सर्वोच्च मूल्य के मातहत हैं। इसी प्रकार, यह धारणा कि व्यक्ति के उच्च संकल्प समष्टियों, जैसे कि वर्ग, राष्ट्र व प्रजाति, के संकल्पों के अनुरूप ही होते हैं और सत्तावादी विचारधाराओं की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं।

मार्क्सवादी समालोचना तथा स्वतन्त्रता–बोध

स्वतन्त्रता संबंधी मार्क्सवादी संकल्पना उन उदारवादी विचारों से भिन्न है, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। भिन्न संबंधी मुख्य बातें व्यक्ति व समाज संबंधी मार्क्सवादी समझ, दोनों के बीच संबंध एवं पूँजीवादी समाज संबंधी मार्क्सवादी समीक्षा से सामने आती है। यद्यपि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति एवं उसकी परतन्त्रता की शर्तों के रूप में व्यक्ति व समाज संबंधी उदारवादी धारणा पर आधारित देखेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार, व्यक्ति विकल्प के स्वतन्त्र प्रयोग हेतु स्वायत्त स्थानों की सीमाओं द्वारा समाज में अन्य व्यक्तियों से विलग नहीं है। इसकी बजाय वे परस्पर निर्भरता में एक साथ बन्धे हैं। व्यक्तित्व–संबंधी धारणा उसी तौर से एक धनी व्यक्तित्व–संबंधी धारणा में बदल गयी, जो कि व्यक्ति की सामाजिक सलंग्नता पर जोर देती है, और इस धारणा में भी कि व्यक्तिजन रचनात्मक उत्कृष्टता की स्थिति में पहुँच सकते हैं और ऐसे समाज में अपनी क्षमताएँ विकसित कर सकते हैं जो अपने सभी सदस्यों की उन्नति का प्रयास करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार, इसी कारण स्वतन्त्रता रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में निहित होती है, और ऐसे पूँजीवादी समाज में प्राप्त नहीं की जा सकती जहाँ व्यक्तिजनों को स्वार्थ की सीमाओं द्वारा अलग–अलग कर दिया जाता है, और जहाँ वे स्वयं के स्वतंत्र होने की कल्पना मात्र कर सकते हैं जबकि वास्तव में वे शोषणकारी प्राधारों से बँधे होते हैं। सिर्फ ऐसे समाज में जो निजी हितों के स्वार्थपूर्ण प्रोत्साहन से मुक्त हो, ही स्वतन्त्रता की स्थिति विद्यमान रह सकती है। स्वतन्त्रता, इस प्रकार, एक पूँजीवादी समाज में प्राप्त नहीं की जा सकती।

ये विचार फ्रेड्रिक एन्जिल्स कृत *ऐन्टी–ड़्यूरिंग* एवं कार्ल मार्क्स कृत *इकॉन्मिक एण्ड फिलॅसाफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844* में स्पष्टतया व्यक्त है। एन्जिल्स स्वतन्त्रता–संबंधी धारणा की चर्चा आवश्यकता से स्वतन्त्रता तक अवस्थान्तर गमन की स्थिति के रूप में करते हैं। आवश्यकता–संबंधी अवस्था को उस स्थिति द्वारा सही निरूपित किया जाता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अधीन होता है। एन्जिल्स बताते हैं कि इंसान में उन शक्तियों को पहचानने व समझने की क्षमती होती है, जो उसके जीवन को अनुकूलित व निश्चित करती है। मनुष्य ने इस प्रकार उन प्राकृत कानूनों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की जो उसके अस्तित्व को निधारित करते हैं और यह भी जाना कि इन कानूनों के साथ यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार रहें। विडम्बना ही है कि मनुष्य अब तक उन उत्पादन–बलों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है, जिन्होंने उसे ऐतिहासिक रूप से अधीनता में रखा है, या अन्य शब्दों में, उसे आवश्यकता के कार्यक्षेत्र में ही सीमित रखा है। स्वतन्त्रता की स्थिति में पहुँचने के लिए, मनुष्य को न सिर्फ मानव इतिहास की जानकारी ही, बल्कि उसे बदल डालने की क्षमता भी रखनी पड़ती है। वैज्ञानिक समाजवाद की ही मदद से मनुष्य आवश्यकता के कार्यक्षेत्र को छोड़ने तथा स्वतन्त्रता के कार्यक्षेत्र में घुसने की आशा कर सकता है। स्वतन्त्रता *कम्युनिस्ट मैनिफ़ैस्टो* में मार्क्स व एन्जिलस द्वारा निर्धारित साम्यवादी समाज संबंधी धारणा का एक महत्वपूर्ण अवयव है। एक साम्यवादी समाज में ही, जहाँ कोई वर्ग–शोषण नहीं होगा, वह स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।

अपनी पुस्तक *मैन्युस्क्रिप्ट्स* में कार्ल मार्क्स दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि पूँजीवादी समाज व्यक्ति को अमानवीय बना रहा है। यह न सिर्फ व्यक्ति को उसके यथार्थ व्यक्तित्व से विमुख कर देता है, यह उसको समाज की रचनात्मक प्रवर्तक शक्तियों से भी पृथक कर देता है। मार्क्स प्रस्ताव करते हैं कि उन परिस्थितियों को बदलकर ही,

जिनमें पृथक्करण होता है, स्वतन्त्रता पुनर्प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार, सिर्फ ऐसे ही एक साम्यवादी समाज में, जहाँ उत्पादन–साधन सामाजिक रूप से रखे जाते, और समाज का प्रत्येक सदस्य सभी की उन्नति के लिए दूसरे के साथ सहयोंग में काम करता, सच्ची आजादी हासिल की जा सकती थी। इस प्रकार, मार्क्स की सामाजिक व्यवस्था में स्वतन्त्रता को आत्म–सिद्धि व आत्म–बोध अथवा व्यक्ति के सच्चे स्वभाव की अनुभूति को द्योतित करते एक सकारात्मक अर्थ में देखा जाता है। मार्क्स ने स्वतन्त्रता के यथार्थ कार्यक्षेत्र को उसके अपने लिए ही स्वतन्त्रता का परिवर्धन के रूप में देखा। इस प्रयोज्य संसाधन की अनुभूति, मार्क्स का मानना था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दूसरों के साथ काम करते हुए, सिर्फ रचनात्मक उद्योग के अनुभव से ही की जा सकती है। इस सामाजिक व्यवस्था के तहत रॉबिन्सन क्रूसो, जिसने कि जिस सीमा तक अधिक से अधिक संभव था नकारी स्वतन्त्रता का उपभोग किया, उसके द्वीप पर उसे रोकने अथवा बाध्य करने वाला अन्य कोई भी नहीं था, अविकसित और इसी कारण परतंत्र व्यक्ति था, जो कि उन सामाजिक संबंधों से वंचित था, जिनके माध्यम से मनुष्यजन पूर्णता हासिल करते हैं। स्वतन्त्रता संबंधी यह धारणा मार्क्स की 'पृथक्करण' संबंधी अवधारणा में स्पष्टतः प्रकट होती है। पूँजीवाद के अन्तर्गत, श्रम को व्यक्तित्व–वंचित (d-personalized) बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित व निरूपित मात्र एक जिन्स के रूप में परिणत कर दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पूँजीवादी कर्मचारी इस बात में पृथक्करण भोगते हैं कि वे अपनी ही यथार्थ प्रकृति से अलग हो जाते हैं, अपने साथी मनुष्यों से अलग हो जाते हैं, और अन्ततः अपने 'सच्चे' व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं। स्वतन्त्रता इसी कारण व्यक्तिगत सिद्धी से जुड़ी है जो कि सिर्फ अपृथक्त उद्योग ही करवा सकता है। (एन्ड्रयू हेवुड, पॉलिटिक्ल थिअरी, पृ० 263)

2.4.10 निष्कर्ष (Conclusion)

कानून स्वतन्त्रता का विरोधी है या सहयोगी यह वास्तविकता में परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है। यदि जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है, तो वह स्वतन्त्रता का सहयोगी होता है और स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है। परन्तु जब कानून थोड़े से लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं तो ऐसे कानून स्वतन्त्रता के विरोधी होते हैं। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रजातन्त्र (Democracy) की स्थापना सर्वोत्तम साधन हैं, क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता स्वयं ही शासक और शासिक होती है।

2.4.11 मुख्य शब्दावली

- स्वायत्तता
- सामाजिक प्रजातंत्रवादी
- नकारात्मक स्वतन्त्रता
- विशेषाधिकार
- लोकतंत्रीय शासन
- अवरोध व संतुलन

2.4.12 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के अर्थ की व्याख्या करें और इसके रूपों का वर्णन करें।
   (Discuss the meaning of liberty and explain its various kinds.)
2. स्वतन्त्रता की परिभाषा दे। इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
   (Define liberty. Mention briefly the chief characteristics of liberty.)

3. स्वतन्त्रता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
(Critically examine the concept of liberty.)

4. स्वतन्त्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके रक्षक तत्वों का वर्णन कीजिए।
(Define Liberty. Discuss various safeguards of Liberty.)

5. ''सतत् जागरूकता स्वतन्त्रता का मूल्य है।'' इस कथन को सामने रखते हुए स्वतन्त्रता की रक्षा के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।
("Eternal vigilance in the price of Liberty". In the light of this statement, discuss the various safeguards of liberty.)

6. स्वतन्त्रता तथा कानून में सम्बन्ध की व्याख्या करें।
(Discuss the relationship between law and liberty.)

2.4.13 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.5 समानता

(Equality)

2.5.1 परिचय

समानता अर्थात् बराबरी की धारणा आधुनिक राजनीति एवं राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय प्रतीत होती है। जन्म पर आधारित समाज में पदानुक्रम सामाजिक स्थिति अथवा अन्य किसी भी मानदण्ड को प्रकृति प्रदत्त माना जाता था। अब यह बात नहीं है, वस्तुतः आधुनिक राजनीतिक सोच इस परिकल्पना से शुरू होती है कि सभी मनुष्य समान हैं।

अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम (War of American Independence, 1776) और फ्रांस की राज्य फ्रांस की राज्य क्रान्ति (French Revolution, 1789) में जेफरसन (Jefferson) जॉन लॉक (John Locke) रूसों (Rouesseau) वाल्टेयर (Voltaire) एवं टामस पेन (Tomas Paine) जैसे विचारकों ने स्वतन्त्रता समानता और भातृत्व (Liberty Equality and Fraternity) का नारा दिया जिससे आगे चलकर स्वतन्त्र राष्ट्रों के निर्माण में मदद की। सन् 1776 में अमेरिका में यह घोषणा की गई, ''हम लोग इस सत्य को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं'' सन् 1789 में सफल क्रान्ति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा (National Assembly of France) ने मानवीय अधिकारों की अपनी घोषणा में समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, ''मनुष्य हमेशा स्वतन्त्र और समान रूप से जन्म लेते हैं और अपने अधिकारों के विषय में समान ही रहते हैं।'' (Men are born free and always continue free and equal in the respect of their rights.)

2.5.2 उद्देश्य

1. समानता के अर्थ और इसकी अवधारणा से जुड़े महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयों पर ध्यान देना।
2. समानता संबंधी मूल सिद्धान्तों की संकल्पना को स्पष्ट कर सकें।
3. औपचारिक समानता, अवसर की समानता और परिणामों की समानता को स्पष्ट कर सकें।
4. उदारवादियों के असमानता–संबंधी औचित्य प्रतिपादन पर चर्चा कर सके।
5. स्वतन्त्रता और समानता के बीच संबंध का मूल्यांकन कर सके।

2.5.3 समानता की परिभाषाएँ
(Definition of Equality)

समानता की विभिन्न परिभाषाएँ हैं जो कि निम्नलिखित हैंः–

1. लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''समानता का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढ़ोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों।'' (Equality does not mean the identity of treatment or the someness of reward. If a bricklayer gets the same reward as mathematician or a scientist, the purpose of the society will be defeated. Equality, therefore, means, first of all the absence of special privileges. In the second place, it means that adequate opportunities are laid open to all.")

2. टॉनी (Tawny) के मतानुसार, ''सबके लिए व्यवस्था की समानता विभिन्न आवश्यकताओं को एक ही प्रकार से समझकर प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकारों से उन्हें पूरा करने के लिए एक समान ध्यान देकर प्राप्त की जा सकती है।'' (Equality of provision is to be achieved, not by teating different needs in the way, but by devoting equal care to ensuring that they are met in the different ways most appropriate to them.)

3. बार्कर (Barket) के अनुसार, ''समानता का यह अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएँ मुझे उपलब्ध हैं, वैसे ही और उतनी ही सुविधाएँ दूसरों को भी उपलब्ध हों, तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे मुझे अवश्य दिए जाएँ।'' (The principle of equality accordingly means that whatever conditions are guaranteed to me, in the form of right shall also and in the same measure, be guaranteed to others and that whatever rights are given to others hall also given to me.)

2.5.4 समानता का अर्थ (Meaning of Equality)

समानता का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है:–

समानता का गलत अर्थ (Wrong Conception of Equality)

समानता का अर्थ होता है बराबर या एक सा, इसमें ऊँच–नीच या छोटे–बड़े का भेद नहीं किया जाता है। इस बरबर की स्थिति का नाम ही समानता है। कुछ लोग समानता का अर्थ सभी लोगों के बीच बराबरी से लेते हैं। दूसरे शब्दों में समानता का अर्थ है – बराबरी अर्थात् सभी व्यक्तियों को समान भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जाति, वंश, रंग, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। इस मत के मानने वालों का कहना है कि सभी ईश्वर की संतान है। अतएव उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य समान ही पैदा होते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए पैदा किया है।

किन्तु यह सत्य नहीं है कि सभी मनुष्य समान है। मनुष्य में स्वाभावित असमानता है। स्वयं प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया है। कुछ लोग जन्म से ही तेज एवं बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ लोग मूर्ख एवं मंद बुद्धि वाले। कोई शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली तो कोई दुर्बल है। अतएव यह कहना कि प्रत्येक मनुष्य समान है, उसी प्रकार गलत है, जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल (Flat) है। इस संदर्भ में लॉस्की (Laski)ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, ''समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट जोड़ने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया जो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा।'' इस समानता का बराबर के अर्थ में प्रयोग करना गलत होगा।

समानता का सही अर्थ (True Conception of Equality)

समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलना चाहिए। लॉस्की (Laski) की समानता पर सही परिभाषा (Correct definition of Laski on Equality) जिस प्रकार सूर्य की किरणों, चाँद की ज्योत्सना, वर्षा, वायु एवं जल सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी सभी व्यक्तियों को समान सुविधा राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लॉस्की (Laski) की समानता सम्बन्धी परिभाषा सही है जो निम्न प्रकार से है – ''इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों।'' (Equality, therefore, means first of all the absence of special privileges. In the second place, it means that adequate opportunities are laid upon to all.)

2.5.5 समानता की विशेषताएँ

(Characteristics of Equality)

समानता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **विशेष अधिकारों का अभाव (Absence of Special Privilages)**:– समानता की प्रथम विशेषता यह है कि समाज में किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। समाज के सभी लोगों को समान अर्थात् एक जैसे अधिकार व अवसर प्रदान (Equal Opportunities) किए जाने चाहिए।

2. **उन्नति के समान अवसर (Equal Opportunities for Progress)**:– समानता की द्वितीय विशेषता यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सकें। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग तथा धन के आधार पर भेद–भाव नहीं किया जाता।

3. **प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति (End of the Natural Inequalities)**:– समानता की तृतीय विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानताओं को नष्ट किया जाता है, यदि समाज में प्राकृतिक असमानताएँ रहेंगी तो समानता के अधिकार का कोई लाभ नहीं होगा।

4. **सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs of All Persons):–** समानता की यह भी विशेषता है कि समाज के सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अन्य शब्दों में लॉस्की (Laski) ने ठीक ही कहा है, कि ''मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि इस अधिकार के कारण मेरे पड़ोसी को खाने के लिए रोटी न मिले।

5. **तर्क के आधार पर भेदभाव (Logical Basis of Discriminations)**: यद्यपि समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है तथापि समाज में तर्क के आधार पर कुछ लोगों को विशेष सुविधाएँ प्रदान कराई जा सकती हैं। जैसे पिछड़े वर्ग, अपंग स्त्रियों, रोगी तथा विकलांगों को समाज में कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त कराई जाती हैं। इस व्यवस्था को कानून के सामने संरक्षण (Safeguard) कहते हैं।

2.5.6 समानता के प्रकार

(Kinds of Liberty)

स्वतन्त्रता के समान ही समानता के भी अनेक प्रकार हैं। भिन्न–भिन्न लेखक समानता के प्रकारों की भिन्न–भिन्न संख्या और नाम देते हैं, जैसे बार्कर (Barker) दो प्रकार की समानता मानता है – वैधानिक (Legal) तथा सामाजिक (Social) लास्की (Laski) के अनुसार, समानता राजनीतिक तथा आर्थिक दो प्रकार की होती है। ब्राइस (Bryce) ने समानता को चार प्रकार में विभाजित किया है। (1) नागरिक समानता (Civil Equality), (2) सामाजिक समानता (Social Equality), (3) राजनीतिक समानता (Political Equality) तथा (4) प्राकृतिक समानता (Natural Equality) साधारणतया समानता पाँच प्रकार की जानी जाती है, जैसे –(1) प्राकृतिक समानता (Natural Equality), नागरिक समानता (Civil Equality), (3) राजनीतिक समानता (Political Equality), (4) आर्थिक समानता (Economic Equality) तथा (5) सामाजिक समानता (Social Equality)।

उपरोक्त समानताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्पलिखित है:–

प्राकृतिक समानता (Natural Equality)

प्रकृति ने मनुष्य को एक समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप से बराबर है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। इसे 'कोरी कल्पना' (Mere Imagination) बताया जाता है।

कोल (Cole) के शब्दों में, ''मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और सम्भवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक–दूसरे से मूलतः भिन्न है।''

सामाजिक समानता (Social Equality)

सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के विशेषाधिकारों का अन्त होना चाहिए। (Equality means the absence of speical privileges) और समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक उत्थान के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।

नागरिक समानता (Civil Equality)

कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए (There should be equality before law) और राज्य के कानूनों द्वारा दण्ड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति–व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए।

राजनीति समानता (Political Equality)

राजनीतिक समानता का अभिप्राय सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने से है। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

मानव जीवन में आर्थिक समानता का महत्व सबसे अधिक है और समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्यों की आय में बहुत अधिक असामनता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनकी आय में इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लें। आर्थिक समानता धन के उचित वितरण पर बल देती है।

लॉस्की (Laski) ने लिखा है ''कुछ व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक होने से पहले सब व्यक्तियों के पास आवश्यकता न्यूनतम पदार्थ आवश्यक हो जाना चाहिए।'' (There must be sufficiency for all before there can be superfluity for a few.) उन्होंने आगे कहा है कि ''मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, यदि मेरा पड़ोसी मेरे इस अधिकार के कारण रोटी के बिना भूखा रहने के लिए लाचार किया जाता है।'' (I have no right to take the cake, if me neighbour, because of that right, is compelled to go without bread.)

इस प्रकार आर्थिक समानता इस बात पर बल देती है कि किसी के पास अपनी जरूरत से बहुत अधिक आर्थिक साधन न हो, जबकि दूसरे उसके अभाव के कारण भूखे मर रहे हों।

2.5.7 स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध (Relation Between Independence and Equality)

समानता और स्वतन्त्रता के सम्बन्धों के विषय में विचारकों ने दो प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं प्रथम मत के अनुसार स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी है। दूसरे मत के आधार पर समानता और स्वतन्त्रता में गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक–दूसरे पर निर्भर करते हैं। समानता के बिना स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता के बिना समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों मतों का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित हैः–

स्वतन्त्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं (Liberty and Equality are Opposed to Each Other)

कुछ विचारकों के अनुसार, स्वतन्त्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं और एक ही समय पर दोनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। टॉकविल (Tacquiwile) तथा लार्ड एक्टन (Lord Acton) इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। इन विद्वानों के मतानुसार जहाँ स्वतन्त्रता है, वहाँ समानता नहीं हो सकती और जहाँ समानता है वहाँ स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि समाज में आर्थिक समानता स्थापित कर दी गई तो स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। इन विद्वानों में निम्नलिखित आधारों पर स्वतन्त्रता तथा समानता का विरोधी माना हैः–

सभी 'मनुष्य समान नहीं हैं' (All men are not Equal)

इस विचारकों के अनुसार, ''असमानता प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से शक्तिशाली होते हैं तथा कुछ कमजोर। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख।''

आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी है (Economic Liberty and Equality are Opposed to each other)

व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार, स्वतन्त्रता तथा समानता को परस्पर विरोधी माना जाता है। व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि स्वतन्त्र प्रतियोगिता को अपनाया जाये तो कुछ व्यक्ति अमीर हो जायेंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी।

प्रगति में बाधक (Checks the Progress)

यदि समाज में योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति को समान दर्जा दे दिया, जो इससे योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति में अन्तर करना कठिन हो जाता है। इससे योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता।

उपर्युक्त तर्कों से स्पष्ट है कि दोनों अवधारणाएँ एक–दूसरे के विरोधी हैं। इसका समर्थन करते हुए सी०इ०एम० जोड़ (C.E.M. Joad) ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है कि, ''स्वतन्त्रता के सिद्धान्त जिसका राजनीति में बहुत महत्त्व है, अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ, जब इसे आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया।'' लार्ड एक्टन (Lord Acton) के अनुसार, ''समानता के आदेश में स्वतन्त्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है।'' (The passion for equality has made vain the hope of liberty.)

स्वतन्त्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं (Liberty and Equality are not opposed to each other)

स्वतन्त्रता और समानता के सम्बन्धों के विषय में जो दूसरा विचार व्यक्त किया गया है, इस दृष्टिकोण के अनुसार समानता और स्वतन्त्रता दोनों एक–दूसरे के विरोधी न होकर पूरक तथा समपूरक (Complementary and Supplimentry) हैं। जो विचारक इसका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं। उनमें प्रसिद्ध हैं रूसो (Rousseau), आर०एच० टॉनी (R.H. Tonney) व पोलनार्ड (Pollard) के अनुसार, ''बिना स्वतन्त्रता के समानता जीवित नहीं रह सकती।'' (Equality cannot survive without liberty)। आर०एच० टॉनी (R.H. Tonney) के अनुसार, ''समानता की प्रचुर मात्रा स्वतन्त्रता की विरोधी नहीं वरन् इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।'' (A Large measure of equality so far from being immical to liberty is eseential to it.) पोलार्ड (Pollard) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है और वह है समानता।'' (There is onlyone solution to the problem of liberty, it lies in equality.)

विचारक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैंः–

विकास एक साथ(Growth Simultaneouly)

स्वतन्त्रता और समानता का संबंध जन्म से है। दोनों में रक्त सम्बन्ध है। इसी विचार के समर्थन में रूसो (Rousseau) ने कहा है कि ''सरकार का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना ही नहीं है उसका

उद्देश्य समानता को स्थापित करना भी है।'' (The end of government is not only to secure liberty for the individual but also equality.)

प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principles of Democracy)

स्वतन्त्रता और समानता का विकास प्रजातन्त्र के साथ हुआ है। दोनों प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त हैं। दोनों के बिना प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वतन्त्रता व समानता का होना अनिवार्य है।

समान रूप (Same Form)

स्वतन्त्रता और समानता के प्रकार एक ही हैं और उसके अर्थों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता तथा प्राकृतिक समानता का अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रता तथा समानता है।

उद्देश्य समान (Same Objectives)

दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता के बिना समानता असम्भव है और असमानता के बिना स्वतन्त्रता का कोई मूल नहीं है। आर्शीवादम् (Ashirvadam) ने दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है। उसने लिखा है, ''फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने जब स्वतन्त्रता, समानता तथा भाईचारे को अपने युद्ध का नारा बताया तो वे न पागल थे और न ही मूर्ख'' ("The French revolutionaries were neither mad nor stupid, when they made their war cry liberty, Equality and Fraternity.")

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है। (Political Liberty is not possible without economic Equality)

समानता और स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं है बलिक आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक धोखा व कपट मात्र है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का भाग कर ही नहीं सकता। उसके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का कोई मूल नहीं है, जैसा कि हॉब्सन (Hobson) ने ठीक ही कहा है, ''भूखे व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता का क्या लाभ है? वह स्वतन्त्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है?'' ("What is the utility of freedom to starving man? He can neither ear nor drink it.")

निष्कर्ष (Conclusion)

स्वतन्त्रता और समानता के आपसी सम्बन्धों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों एक–दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक–दूसरे के सहायक हैं। जो विद्वान इस दोनों को विरोधी मानते हैं, उन्होंने समानता व स्वतन्त्रता को सही अर्थों में नहीं लिया है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता के बिना समानता अधूरी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। (Two sides of the same coin)

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)

राजनीतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है, अर्थात् राजनीतिक स्वतन्त्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपभोग किया जा सके या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके। उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि के

रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्त्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम हैं।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

आर्थिक समानता के दो अर्थ बताये जा सकते हैं। इसका प्रथम तात्पर्य है कि सम्पत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएँ (Basic Necessities) आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएँ प्राप्त न हो जाए, तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ौसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से भी वंचित रहना पड़े।'' ("I have no right to eat cake, if my neighbour, because of that is compelled to go without bread.")

आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य 'उद्योग में प्रजातन्त्र' की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं वरन् इसके साथ–साथ उत्पादन व्यवस्था का कर्ता भी होना चाहिए।

राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समानता आधारित (Political Liberty Dependent Upon Economic Equality)

यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का आधार आर्थिक समानता है। राजनीतिक स्वतन्त्रता मूल रूप से निम्न तीन अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती हैः–

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि (Interest in Public Affairs)

जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हों।

शिक्षित (Educated)

व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत (Public Opinion) का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। भिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता प्रदान करती है।

सही सूचनाएँ और विचारकों की जानकारी(Correct and Reliable Information)

राजनीतिक स्वतन्त्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएँ और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस (Independent Press) नितान्त आवश्यक है।

उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितान्त आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय रूचि ले सकता है, जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने का पर्याप्त साधन (Enough Economic Means) हों। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमानदारी और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित हो जाता है और पं० नेहरू के शब्दों में (Pt. Nehru) कहा जा सकता है कि ''भूखे व्यक्ति के लिए मत (Vote) का कोई मूल्य नहीं होता।''

2.5.8 राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानताओं में सम्बन्ध (Relationship between Political Liberty and Economic Equality)

स्वतन्त्रता और समानता प्रजातन्त्र के दो प्रमुख आधार स्तम्भ माने जाते हैं। वास्तव में इनमें से एक के अभाव में समस्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चरमरा जाती है। स्वतन्त्रता और समानता दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। जिस समाज में राजनीतिक तौर पर स्वतन्त्रता नहीं है, वहीं आर्थिक समानता कोई अर्थ नहीं रखती। हैराल्ड लॉस्की

(Harald Laski) ने बिल्कुल सही कहा है कि ''आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता एक धोखा है।'' ("Without economic equality, political liberty is mere myth.")

आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतन्त्रता में क्या सम्बन्ध है, इसके अध्ययन के लिए इन दोनों का अर्थ जान लेना उचित होगाः–

राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ

(Meaning of Political Liberty)

राजनीतिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय उसे स्वतन्त्रता से है, जिसके अन्तर्गत अपने देश की शासन व्यवस्थाओं में भाग ले सकें। लास्की (Laski) ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में क्रियाशील होना है।'' ("Political Liberty is the power to be active in the affairs of the state.") इसमें निम्नलिखित बातें निहित होती हैंः–

1. सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार (Adult Franchise)
2. चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to First Elections)
3. राजनीतिक दल आदि बनाने का अधिकार (Right to form Political Parties)
4. सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to hold public office)
5. प्रार्थना–पत्र देने का अधिकार (Right to Petetion)
6. सरकार की आलोचना करने का अधिकार (Right to criticise the policies of Government)

ये अधिकार सभी नागरिकों को जाति, वंश, धर्म, लिंग, रंग, नस्ल, इत्यादि के भेदभाव के बिना समान रूप से मिलते हैं।

आर्थिक समानता

(Economic Equality)

आर्थिक समानता से अभिप्राय यह नहीं है कि सभी नागरिकों को बराबर सम्पत्ति बांट दी जाए और सभी को एक समान वेतन दिया जाए। वास्तव में आर्थिक समानता से अभिप्राय है कि समाज में आर्थिक आधार पर कम से कम असमानता होनी चाहिए। लॉस्की (Laski) ने ठीक ही कहा है कि ''कुछ व्यक्तियों के पास जरूरत से ज्यादा हो जाने से पहले, सब व्यक्तियों के पास जरूरी चीजें हो जानी चाहिए।'' आर्थिक समानता में निम्नलिखित बातें निहित होती हैंः–

1. **मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs)**: प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति।
2. **असमान वितरण को कम करना (Reduction in inequal wealth distribution)**: धन के असमान वितरण को कम करना।
3. **समान अवसर (Equal Opportunity)**: सबको अपनी आजीविका कमाने के लिए समान अवसर मिलें।
4. **समान काम, समान वेतन (Equal pay for equal work)**: सब को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।
5. **शोषण नहीं (No exploitation)**: आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए आर्थिक समानता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैः–

मत का अधिकार महत्वहीन (Right to Vote is Meaningless for Poor)

वोट का अधिकार राजनीतिक स्वतन्त्रताओं में सर्वाधिक महत्व रखता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है एक निर्धन व्यक्ति जो दिन–रात, रोजी–रोटी की तलाश में भटकता रहता है, उसके लिए वोट के अधिकार से कहीं अधिक मूल्यवान चीज रोटी है।

मतदान के अधिकार का सदुपयोग असम्भव (Use of vote by a poor is impossible)

किसी नागरिक को मताधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु मतदान का सदुपयोग भी होना चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति के पास न तो देश की समस्याओं पर सोचने का समय होता है न ही इतना धन होता है कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके।

लालच में आकर मत डालना (Tempatation for Greed)

निर्धन व्यक्ति के लालच में आकर मतदान करने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है। बड़े–बड़े धनवान राजनीतिज्ञ कुछ पैसों में निर्धन व्यक्तियों के मत खरीद लेते हैं। वास्तव में इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं है, जिसने अपना वोट बेचा है, दोषी उसकी परिस्थितियाँ हैं, जिनसे बाध्य होकर उसके अपना वोट बेचना पड़ा। हॉब्सन (Hobson) ने ठीक ही कहा है कि, ''भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता का क्या लाभ है। वह स्वतन्त्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है।'' (''What good is freedom to a starving man? He can neither eat freedom nor can drink it.'')

मताधिकार का प्रयोग नहीं (No use of vote)

निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या दो वक्त की रोटी की होती है। उसके लिए वोट का अधिकार कोई खास महत्व नहीं रखता। वे वोट डालने में दो–चार घंटे बर्बाद करने की अपेक्षा अपने काम पर जाना ज्यादा पसन्द करते हैं और मताधिकार का प्रयोग नहीं करते।

चुनाव लड़ना सरल नहीं (Not easy to Contest Election)

प्रजातन्त्र में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अधिकार दिया जाता है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए लाखों रूपये की आवश्यकता पड़ती है। एक निर्धन व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात चुनाव लड़ने का स्वप्न भी नहीं देख सकता।

अमीरों का नियन्त्रण (Control of Rich)

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों का संचालन राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल ही जनमत निर्माण, चुनाव लड़ने, सरकार का निर्माण करने, सरकार की आलोचना करने इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक है कि निर्धन व्यक्ति राजनीतिक दलों को अधिक धन नहीं दे सकते। राजनीतिक दलों पर अमीरों का नियंत्रण स्थापित होता है।

स्वतन्त्र छापाखाना (Independent Press)

स्वतन्त्र छापाखाना प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। छापाखाना (Press), एक ऐसा साधन है जो सरकार की उचित और अनुचित नीतियों अथवा कार्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। सभी महत्वपूर्ण समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ इत्यादि अमीर व्यक्तियों के नियत्रंण में कार्य करती हैं।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है कि राजनीतिक शक्ति का निर्धारण आर्थिक शक्तियों द्वारा होता है अर्थात् राजनीतिक शक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथों में एक खिलौना है।'' आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति राजनीतिक शक्ति का प्रयोग न केवल अपने हितों के लिए करते हैं, अपितु वे इसका प्रयोग निर्धन वर्ग के शोषण के लिए भी करते हैं। इससे अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर और निर्धन व्यक्ति और अधिक निर्धन होता चला होता है। उसके बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त अध्याय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक दिखावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है लॉस्की (Laski) कहता है कि ''राजनीतिक स्वतन्त्रता को तब तक वास्तविक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसके साथ आर्थिक समानता न हो।'' (Political Liberty can never be real unless it is accompanied by virtual economic equality.)

2.5.9 निष्कर्ष

इस अध्याय में हमने इस बात पर सूक्ष्म दृष्टि डाली है कि समानता की अवधारणा का मतलब क्या है? इस तथ्य के साथ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो अनेक प्रकार की असमानताओं से लड़ रहा है। समानता अपने बहुत ही सीमित अर्थ में औपचारिक समानता है जो कि सभी मनुष्यों की सार्वभौम मानवता संबंधी धारणा को स्वीकार करती है। अवसर की असमानता, जिसमें हमने देखा, असमानता को अन्यतम रूप से सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। परिणामों की समानता, समानता शब्द के अर्थ को विस्तार प्रदान करती है। अन्ततः हमने समानता व स्वतन्त्रता के बीच संबंध विषयक बहस पर सूक्ष्म दृष्टि डाली, और देखा कि स्वतन्त्रता संबंधी एक नकारी अवधारणा, इन दो अवधारणाओं को प्रतीयमानतः विवादास्पद बनाती है।

2.5.10 मुख्य शब्दावली

- समानता
- प्राकृतिक समानता
- समान अवसर
- मताधिकार
- राजनीतिक दल

2.5.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. समानता की धारणा से आपका क्या अभिप्राय है? समानता के अर्थों और परिभाषा को स्पष्ट रूप से वर्णन करें।
   (What do you mean by the concept of equality? Explain clearly meaning and definitions of equality.)
2. वैधानिक समानता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Critically examine the concept of legal equality.)
3. राजनीतिक समानता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Discuss critically the concept of poilitical equality.)
4. आर्थिक समानता के अर्थों की व्याख्या करें। आर्थिक समानता की विशेषताएँ कौन सी होती हैं?
   (Explain the meaning of economic equality. Which are its characteristics?)

5. ''समानता के बिना स्वतन्त्रता अनुचित छूट के समान है।'' व्याख्या करो।
("Liberty without equality degenerates into licence." Discuss.)

6. ''समानता और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी नहीं अपितु सहयोगी है।'' क्या आप विचार से सहमत हैं? तर्क दें।
("Equality and Liberty are not incompatible, but they are complementary to each other". Do you agree to the view? Argue.)

7. ''आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है।'' इन कथन की तर्कों सहित व्याख्या करें।
("Political equality is meaningless without economic equality." Discuss this statement with arguments.)

2.5.12 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.6 न्याय

(Justice)

न्याय की अवधारणा प्रारम्भ से ही हमारे चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में 'न्याय' (Justice) को धर्म (Religion) का पर्याय माना गया है। मनु, याज्ञवलक्य और बृहस्पति आदि विद्वानों की वे रचनाएँ जो विवाह, पुर्नविवाह, अंतरजातीय विवाह, संपत्ति के बंटवारे और फौजदारी विवादों से सम्बन्ध रखती है, 'धर्म शास्त्रों' की श्रेणी में आती है पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो (Plato) ने न्याय के सिद्धान्त की विस्तार से चर्चा की थी। उसके मतानुसार समाज के विभिन्न वर्गों – उत्पादन वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग के बीच जब पूर्ण संतुलन कायम हो जाता है, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है।

2.6.1 परिचय

अब तक आप सभी कानून, अधिकार, स्वतन्त्रता एवं समानता जैसी संकल्पनाओं के विषय में जान चुके होंगे। इन संकल्पनों का एक पूर्व–अध्ययन न्याय की अवधारणा को समझने में मदद करेंगे। न्याय का मूल सिद्धान्त वस्तुतः उपरोक्त विषयों से जुड़ा है। इसी कारण, इस अवधारणा की एक सही समझ विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, उनकी नीतियों व उन विचारधाराओं, जिन पर वे आधारित हैं, के मूल्यांकन में मदद करेगी।

2.6.2 उद्देश्य

1. न्याय–संबंधी संकल्पना के अर्थ को समझना।
2. न्याय–संबंधी विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर को जानना।
3. न्याय की प्रकृति संबंधी विभिन्न सिद्धातों की पहचान और व्याख्या को समझना।
4. स्वतन्त्रता, समानता, कानून व न्याय के बीच संबंध स्पष्ट कर सके।

2.6.3 न्याय का अर्थ

(Meaning of Justice)

न्याय शब्द को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस (Justice) कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'जस' (Jus) से हुई है जिस शब्द का अर्थ है 'बन्धन' या 'बांधना' या 'गांठ' (To Bind or Tie) इसका अर्थ है कि न्याय व्यवस्था ही समाज में मनुष्यों को एक–दूसरे से बांधती थी और आज भी बांधे हुए है। जो उचित है उसे न्याय और अनुचित को अन्याय कहा जाता है। साधारण शब्दों में 'न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो निष्पक्षता, स्वार्थ हीनता और तर्क संगतता हो। जिसमें व्यक्ति अपने–अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

2.6.4 न्याय की परिभाषा

(Definition of Justice)

न्याय की परिभाषा करना सरल कार्य नहीं है कई लेखक न्याय का अर्थ सिर्फ समानता (Equality) से लेते हैं तो अन्य स्वतन्त्रता (Liberty) पर ज्यादा बल देते हैं। कुछ विद्वानों ने व्यक्तिगत अधिकारों (Personal Rights) की बात की है तो कुछ ने 'समाज को सुव्यवस्थित करने' (Social Ordering) की बात कही है। ज्यादातर लेखकों की यह धारणा है कि 'न्याय' (Justice) एक समझौताकारी सिद्धान्त (Conciliatory Doctrine) है। समाज में जितने मनुष्य रहते हैं उनमें से प्रत्येक को 'उसका उचित हक व स्थान' (due place) दिलाने वाली व्यवस्था को ही न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। न्याय की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. मैरियम (C.E. Merriam) के शब्दों में 'न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएँ जुटाई जाती है।'' ("Justice consists in a system of understandings and procedures through which each is accorded what is agreed upon as fair.")
2. डी०डी० राफेल (D.D. Raphael) के शब्दों में, ''न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है।'' ("Justice protects the rights of the individual as well as the order of the society.")
3. बैन तथा पीटर्स (Benn and Peters) के अनुसार, ''न्याय का अर्थ है कि जब तक भेदभाव किये जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए।'' (To act justly then, is to treat all men alike except where there are relevant differences between them.)
4. जे०एस० मिल (J.S. Mill) का कथन है कि ''न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव जाति की कल्याण अवधारणाओं से सम्बन्धित है और इसलिए जीवन पथ–प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियम से अधिक महत्वपूर्ण है।'' (Justice is the name of certain classes of moral rules which concern the essentials of human well being more clearly and are therefore of more absolute obligation than any other rules for guidence of life.)
5. सालमण्ड (Salmand) के अनुसार, ''न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है।'' (Justice means to distribute the due share of everybody.)
6. कांट (Kant) के शब्दों में, ''न्याय प्रत्येक व्यक्ति की बाह्म स्वतन्त्रता है, जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा सीमित है।'' (Justice is the external liberty of each limited by the liberty of all others.)
7. सेबाइन (Sabine) के शब्दों में, ''न्याय एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में इकट्ठा करता है। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षणानुसार कार्य करता है।'' (Justice is a bond which holds a society together in a harmonious union of individual each of whom has found his work in accordance with his fitness and training.)

उपर्युक्त भिन्न–भिन्न परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न्याय का सम्बन्ध मानवीय कल्याण और व्यक्ति के उचित हितों की रक्षा से है और ऐसा तभी हो सकता है यदि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का उचित पालन करे। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो (Plato) ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक (Republic) में न्याय सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है और इन कर्तव्यों को पूरा करने की भावना ही न्याय है।

2.6.5 न्याय की विशेषताएँ

(Characteristics of Justice)

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् हम देखते हैं कि न्याय की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:–

1. **मानवीय भलाई (Human Welfare)**: मानवीय भलाई न्याय की सर्वप्रथम विशेषता है।
2. **उचित हितों की पूर्ति (Fulfillment of reasonable interests)**: समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उचित हितों की रक्षा ही न्याय का उद्देश्य है।
3. **कर्तव्यों का पालन (Performance of Duties)**: समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि कर्तव्यों का भुगतान नहीं करता तो ऐसे समाज में न्याय की कल्पना नहीं की सकती।

4. **प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग प्रदान करना (To provide everybody his reasonable share)**: प्रत्येक व्यक्ति को उस का उचित भाग प्रदान करना आवश्यक है।

न्याय के आधारभूत तत्त्व (Fundamental Postulates of Justice)

न्याय (Justice) का महत्व प्रत्येक युग में रहा है तथापि न्याय का रूप प्रत्येक युग में अलग रहा है। न्याय का रूप स्थान, परिस्थितियों, समाज के ढांचे और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऑर्नाल्ड बैचट (Arnold Brecht) ने न्याय के निम्नलिखित आधारभूत तत्वों का वर्णन किया है:–

न्याय का सम्बन्ध समाज से है (Justice is realted to Society)

न्याय की भावना का संबंध मानव समाज से है। समाज के बाहर न्याय की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। जब समाज नहीं था और मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तब न्याय की धारणा नहीं थी।

सत्य (Truth)

सत्य का अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुतीकरण करना। वस्तुनिष्ठ रूप (Objective Sense) में न्याय की मांग है कि तथ्य और कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। न्यायालयों में तथ्यों (Facts) की सत्यता (Truth) का विशेष महत्व है।

कानून के समक्ष समानता (Equality before law)

कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होने चाहिए। नागरिकों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

स्वतन्त्रता (Freedom or Liberty)

न्याय और स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाना अन्याय है। सामाजिक हित और राष्ट्रहित के लिए ही स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध होने चाहिए।

बन्धुत्व की भावना (Spilrit of Fraternity)

न्याय के लिए बंधुत्व की भावना का होना भी आवश्यक है। न्याय की मांग है कि लोगों में सहयोग, प्रेम, त्याग आदि की भावनाएँ होनी चाहिए।

प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान (Restect for Nature)

जो कार्य व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असम्भव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरूद्ध है। उदाहरण के लिए किसी (Sick) या बूढ़े (Old) व्यक्ति से भारी शारीरिक काम लेना अन्यायपूर्ण है।

2.6.6 न्याय के भिन्न–भिन्न रूप अथवा पक्ष

(Various Forms or Dimensions of Justice)

न्याय की धारणा के अनेक रूप अथवा पक्ष हैं उसके अन्तर्गत आमतौर पर दो बातों की चर्चा की जाती है: (1) कानूनों का न्याय संगत होना (Just Laws), (2) कानून का न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना (Just administration of the law)। अपराधों या, दीवानी मामलों के लिए उचित कानूनों से ही काम नहीं चलेगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि मुकद्दमें लम्बें न खिंचे और न्याय कम खर्चीला हो। हमारे देश में न्याय बहुत खर्चीला और विलम्बकारी न्याय को शीघ्रकारी और कम खर्चीला बनाने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं:– जैसे अलग–अलग

किस्म के मामलों के लिए अलग–अलग न्यायाधिकरणों (Tribunals) को होना तथा लोक अदालतों (Lok Adalt) का गठन, दंड निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि अपराध किस प्रकार का है, अपराधी की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। अर्थात् पेशेवर अपनाधी हैं या अपराध की दुनिया में अभी हाल ही में दीक्षित हुआ है तथा अपराध महज एक अकस्मात था या उसके पीछे कोई गहरी साजिश अथवा चाल थी। इसके अतिरिक्त दीवानी तथा फौजदारी मामलों के लिए अलग–अलग किस्म के कानून चाहिए। न्यायधीशों को प्रायः यह सलाह दी जाती है – ''निष्पक्षता से कार्य करो, भ्रामक व तर्क विरूद्ध बातों पर ध्यान न दो, कोई फैसला करते समय मित्रता, शत्रुता, भय, लालच और अहंकार से काम न लो'' इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायधीशों की सेवा शर्त ऐसी हों कि वे कार्यपालिका या विधायकों के दबाव से दूर रह सकें।

न्याय का राजनीति पक्ष (Political Dimension of Justice)

मानव अधिकार घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights) कहता है – ''प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रीति से या स्वतन्त्र रीति से चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है।'' (Everyone has the right to be part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.) इसी का दूसरा नाम ''संवैधानिक लोकतन्त्र'' है। मताधिकार नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का साधन हैं। उससे लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति को बोध होता है। वह शासनाधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

राजनीतिक न्याय के साथ कई बातें जुड़ी हैं।

(1) समय–समय पर निष्पक्ष चुनाव (Periodic and Fair Elections)

(2) बालिग मताधिकार (Universal Suffrage or Universal Franchise)

(3) गुप्त मतदान (Secret Ballot)

(4) सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की समान सुविधाएँ (Equal Access to Public Services)

मानव अधिकारों की रक्षा का प्रश्न भी एक खास महत्व रखता है। बिना मुकदमा चलाये लोगों को कारागारों में बंद रखा जाता है, जेलों में बंदियों पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को शोषण हो रहा है तथा शासन विरोधियों का उत्पीड़ित किया जाता है। मानव अधिकारों का हनन मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से होता है और प्रबल जनमत बनाकर ही सत्ताधारियों को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

सामाजिक न्याय (Social Justice)

'सामाजिक न्याय' एक व्यापक चीज है। उसमें 'सामाजिक कल्याण' (Social Welfare) के साथ–साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय (Economic and Political Justice) भी शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता, अवसरों की समानता व बंधुता का आदर्श भी उसकी सीमा में आ जाते हैं। हॉबहाऊस (Hobhouse) ने अपने प्रसिद्ध गंथ 'सामाजिक न्याय के तत्व' (The Elements of Social Justice) में अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतन्त्रता दण्ड–विधान, धन के वितरण, पैतृक सम्पत्ति (Social and Unsocial Wealth) तथा सामाजिक व गैर सामाजिक आदि बहुत से विषयों पर चर्चा की है। सामाजिक न्याय के कुछ विशेष पहलू निम्नलिखित हैंः–

सामाजिक व्यवस्था में सुधार (Revision of the Social Order)

भारतीय समाज में छुआछूत (Untouchability) जैसी घिनौनी प्रथाएँ प्रचलित रही हैं। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि मनुष्य–मनुष्य के बीच भेदभाव न किया जाए तथा सभी को आत्मविकास के उचित अवसर उपलब्ध हों। भारतीय संविधान में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य किसी

भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। संविधान का आदेश है कि ''किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जा सकेगा। इन आधारों पर कोई नागरिक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोरंजन के साधनों तथा तालाबों व कुओं के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।''

शोषण का निषेध (Prohibition of Exploitation)

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त किया जाए। भारतीय संविधान ने न्याय के इस आदर्श को भी अपनाया है। मानव व्यापार या जबरदस्ती काम लेना गैरकानूनी घोषित किया गया है।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा (Protection of the Interests of Minorities)

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा बहुत आवश्यक है। अल्संख्यकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी भाषा लिपि व संस्कृति की रक्षा कर सकें। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की पूरी स्वतन्त्रता है।

काम की न्यायपूर्ण दशाएँ (Just Conditions of Work)

यह आवश्यक है कि राज्य काम की उचित दशाएँ जुटाएँ। कारखानों में समुचित प्रकाश, स्वच्छ हवा सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा की स्वतन्त्रता (Liberty of Thought, Expression Faith and Worship)

लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति का वही स्थान है जो शरीर में रक्त संचार (Blood circulation) का इसके कारण लोकतन्त्र के सभी अवयव धुले और स्वस्थ रहते हैं और उनके बीमार और मृत विषाणु (Germs) हटा दिये जाते हैं।

आर्थिक न्याय (Economic Justice)

'सामाजिक न्याय' (Social Justice) और 'आर्थिक न्याय' (Economic Justice) के आदर्श आपस में इतने घुल मिल गये हैं कि प्रायः यह कहा जाने लगा है कि 'आर्थिक न्याय' के बिना 'सामाजिक न्याय' कोरी कल्पना है। 'आर्थिक न्याय' का अभिप्राय है कि देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा हो तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके।

'आर्थिक न्याय' के महत्त्वपूर्ण तत्व ये हैंः–

जीवन निर्वाह के लिए उचित पारिश्रमिक (Decent living Wage)

हर व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकताएँ (Basic Needs) होती है। उनकी पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि लोगों को काम पाने का अधिकार प्रदान (Right to Work) किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि यह भी जरूरी है कि लोगों को उनके काम की मात्रा व गुण के अनुसार वेतन मिले। काम की दशाएँ ऐसी होनी चाहिए कि किसी से भी उसकी क्षमता (Capacity) से ज्यादा कार्य न लिया जाए।

विशेष परिस्थितियों में राजकीय सहायता पाने का अधिकार (Public assistance in certain special cases)

आधुनिक राज्य लोक हितकारी बनते जा रहे हैं। वे नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रबन्ध करते हैं। बुढ़ापे, बीमारी, बेकारी व अंगभंग की स्थिति में लोगों को राजकीय सहायता मिलनी चाहिए। प्रसिद्ध कानूनवेता एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad) के शब्दों में, ''आर्थिक न्याय के अंतर्गत यह सिद्धान्त भी निहित है कि जो व्यक्ति अपंग, बूढ़े या बेरोजगार हैं और सम्पत्ति का उपार्जन नहीं कर सकते, समाज को उनकी सहायता करनी चाहिए।''

(Economic justice implis that those who are disabled or old or unemployed and, therefore, not in a position to earn their living should be helped by society to live.)

इसी बात को जॉन राल्स (John Rawls) ने इन शब्दों में रखा है, ''न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धान्त न होकर, क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त है।'' (Justice is not an ethic of rewards' but an ethic of redress.)

जो लोग ऊँची प्रतिभा या ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें योग्यतानुसार ज्यादा पुरस्कार मिले, यह अच्छी बात है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कम योग्यता और कम क्षमता रखने वालों की क्षति पूर्ति की जाए।

समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)

यह भी जरूरी है कि पुरूष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। महिलाओं की मजबूरी और बालकों की अवस्था का अनुचित लाभ न उठाया जाय।

सम्पत्ति का अधिकार व उसकी सीमाएँ (Right to Property and Its Limiations)

आर्थिक न्याय की चर्चा करते समय सम्पत्ति के अधिकार का वर्णन जरूरी है। उदारवादी विचारक, जमीन, मकान और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का समर्थन करते हैं। इंग्लैण्ड, भारत, अमेरिका व फ्रांस आदि देशों में लोगों को निजी व्यवसाय की स्वतन्त्रता है किन्तु तुम सभी देशों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सार्वजनिक हित के लिए निजी सम्पत्ति पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा या कुछ राशि अवश्य देता है। मार्क प्लाटनर (Mark Plattner) लिखता है ''जो लोग धन के पुर्नवितरण (Redistributive Justice) में विश्वास रखते हैं। उनकी दलील यह होती है कि व्यक्ति की जो भी आय है, वह उसकी निजी आय ने होकर समूचे समाज की सम्पत्ति है इसलिए निर्धारण का यह अर्थ नहीं कि सरकार 'व्यक्ति की आय' से कितना ले लेती है। उसका अर्थ तो यह है कि 'सामाजिक सम्पत्ति' में से किसी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए कितनी सम्पत्ति रखने की इजाजत होगी।' (The redistributinist view implies that the income obtained by individuals is not their own but that of society as a whole. Hence, in assessing the rate of tax on an individual the government is deciding not how much of the society's income it will allow him to keep.)

2.6.7 न्याय सम्बन्धी विचार (Different Views about Justice)

न्याय सम्बन्धी अनेक मत प्रचलित रहे हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित हैंः–

प्लेटों के विचार (Plato's View)

यूनानी विद्वान प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी रिपब्लिक'' (The Republic) में न्याय संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। प्लेटों का विश्वास था कि मानवीय, प्राणी में तीन तत्व हैं – विचार (Brain), आत्मा (Soul) तथा तृष्णा या लालसा (Appetite) इन तत्वों के साथ मिलती–जुलती समाज में मनुष्य की तीन श्रेणियाँ हैं। एक प्रकार के मनुष्यों को विचार (Reason) वाले मनुष्य, दूसरी प्रकार के मनुष्यों में हौंसले (Courage) वाले मनुष्य, तीसरी प्रकार व्यक्तियों में तृष्णा (Appetite) या लालसा वाले मनुष्य होते हैं। जब मनुष्य की यह भिन्न–भिन्न श्रेणियाँ अपने–अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है तो ऐसी स्थिति को न्यायपूर्ण स्थिति कहा जाता है। प्लेटो (Plato) के विचारानुसार, अगर मनुष्य केवल उस कार्य तक ही सीमित रहे जिस कार्य के लिए वह प्राकृतिक रूप से योग्य हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो इसको न्याय का नाम दिया जा सकता है। संक्षेप में, प्लेटो के अनुसार अपने निश्चित कर्तव्यों की पूर्ति न्याय है।

स्वधर्म (Swadharma)

स्वधर्म का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति का समाज में प्राकृतिक रूप से कोई निश्चित स्थान होता है और उस निश्चित स्थान से ही उसके कर्त्तव्य और अधिकार सम्पन्न होते हैं। इसलिए उन कर्तव्यों को पूरा करना ही स्वधर्म

का मूल आधार माना जाता है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने न्याय सम्बन्धी अपनी धारणा दी थी। उसका यह मत था कि राज्य में न्याय तब ही सम्भव हो सकता है। यदि भिन्न–भिन्न सामाजिक वर्गों में सद्भावना हो। ऐसी सद्भावना तब ही सम्भव हो सकती है, जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्यों को सही प्रकार से पूरा करता है और अन्य वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्राचीन भारत में धर्म से अभिप्रायः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्यों को पूरा करना समझा जाता था। मेरा स्थान इसके कर्त्तव्य (My station and its duties) थे। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक स्थान माना जाता था और उस स्थान के साथ कुछ कर्तव्य निश्चित रूप से जुड़े हुए माने जाते थे, उन कर्तव्यों को पूरा करना ही धर्म या स्वधर्म समझा जाता था।

उदारवादी विचार (Liberal Views)

उदारवाद की विचारधारा ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सबसे अधिक महता दी है। प्राचीन उदारवाद में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को इतना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था कि इस विचारधारा के समर्थकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई (Necessary Evil) बताया था। राज्य को बुराई मानने का एक मुख्य कारण यह था कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करते थे। समकालीन उदारवाद ने राजय को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विरोधी नहीं माना है। उनके अनुसार स्वतन्त्रता का अस्तित्व केवल राज्य के कानूनों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। उदारवादियों का यह विचार है कि प्रत्येक राज्य का अन्तिम उद्देश्य न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करना है। ऐसी व्यवस्था तभी कायम हो सकती है अगर व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा सामाजिक भलाई में उचित मेलजोल तथा राज्य की शक्ति पर शक्ति की स्वतन्त्रता में उचित सन्तुलन सम्मिलित हो। संक्षेप में, उदारवादी विचारानुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता को राज्य के कानूनों द्वारा अधिक से अधिक सामाजिक भलाई के अनुसार नियमित करना न्याय का दूसरा नाम है।

मार्क्सवादी विचार (Marxist View)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने न्याय सम्बन्धी नई धारणा दी है। कार्ल मार्क्स तथा मार्क्सवाद के दूसरे समर्थकों का यह विचार है कि राज्य के कानून न्यायपूर्ण व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था को सम्भव नहीं बना सकते। मार्क्स का यह दृढ़ विचार था कि पूंजीवाद राज्य में न्याय की सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे राज्य में आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली श्रेणी निर्धन वर्ग का शोषण करती है। मार्क्स ने न्याय के अस्तित्व को आर्थिक प्रणाली से जोड़ा है तथा उसके मतानुसार पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में न्याय का अस्तित्व असम्भव है क्योंकि ऐसी प्रणाली परस्पर विरोधी श्रेणियों के संघर्ष को जन्म देती है। मार्क्सवादी विचारानुसार केवल 'श्रेणी हीन तथा राज्यहीन समाज' (Classless and stateless society) में ही न्याय का अस्तित्व हो सकता है।

2.6.8 जान राल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त (John Rawls Theory of Distributive Justice)

जान राल्स (John Rawls) मूलतः एक उदारवादी (Liberal) विचारक थे उन्होंने अपने विवरणात्मक न्याय के सिद्धान्त को न्याय के अनुबन्धवादी सिद्धान्त (Contract Theory) पर आधारित विचार है। अनुबन्धवादी सिद्धान्त (Contract Theory) को न्याय का वितरणात्मक सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक जान राल्स (John Rawls) तथा रूसो (Rousseau) थे। उनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धान्त व शक्ति सिद्धान्त के आधार पर नहीं हुई बल्कि राज्य की उत्पत्ति का आधार अनुबंध (Contract) है। अर्थात् व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। समझौते के समय व्यक्ति अपने सभी अधिकार राजा को सौंप न ही देते बल्कि तीन अधिकार सम्पत्ति, (Property) जीवन (Life) व स्वतन्त्रता (Liberty) का अधिकार अपने पास रख लेते हैं और बाकी सभी अधिकार राजा या संप्रभु को सौंप देते हैं। अर्थात् जॉन लॉक (John Locke) इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। इन अधिकारों में भी मुख्यतः सम्पत्ति का अधिकार है। जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र

प्रतियोगिता (Free competition) मुक्त व्यापार (Free Trade) और अनुबन्ध की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract) शामिल है। इन अनुबन्धवादी सिद्धान्त का समर्थन जॉन लॉक (John Locke) के अतिरिक्त एडम स्थित (Adam Smith), हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) आदि ने भी किया।

न्याय के अनुबन्धवादी सिद्धान्त को संक्षिप्त रूप से ऐसे वर्णित किया जा सकता हैः–

1. **अनुबन्ध करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract)**: व्यक्ति को अनुबंध करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।
2. **निजी सम्पत्ति (Right to Private Property)**: व्यक्ति को अपनी निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार है।
3. **कम से कम हस्तक्षेप (Minimum Control)**: राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। उसे केवल पुलिस मैन के कार्य करते हैं।

जॉन लॉक (John Locke), एडम स्मिथ (Adam Smith) व अनुबन्धवादियों ने स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) का प्रतिपादन किया उसमें पूंजीवादियों और श्रमिकों का शत्रु (Enemy) बना दिया।

जॉन राल्स (John Rawies) पर अनुबन्धवादियों का प्रभाव स्पष्ट है। उसकी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971' (A Theory of Justice, 1971) में प्रकाशित हुई। उन दिनों उदारवाद बड़े संकट से गुजर रहा था। अमेरिकन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों में संघर्ष चल रहा था। अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध में व्यस्त था और इस युद्ध पर अमेरिका का बेतहाशा खर्च हो रहा था। इस युद्ध में अमेरिका ने उदारवादियों को झंझोर कर रख दिया। उदारवादी प्रजातन्त्र लड़खड़ा रहा था। गरीबों में लोकतन्त्र के प्रति व उदारवाद दोनों के प्रति असंतोष उत्पन्न होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में साम्यवाद की स्थापना होने और सैनिक तानाशाही की स्थापना होने के आसार नजर आ रहे थे। इन स्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी जान राल्स (John Rawls) ने अपने कंधों पर ली। लेकिन सर्वप्रथम प्रश्न यह था किन चीजों का वितरण किया जाए। न्याय का सम्बन्ध इन वस्तुओं के वितरण से है अर्थात् इन वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए? इन वस्तुओं का वितरण योग्यता (Merit) के अनुसार किया जाए या जरूरतों के अनुसार (According to needs) या फिर अधिकारों (Rights) के अनुसार किया जाए।

विशेषताएँ (Characteristics)

जान राल्स (John Rawls) के न्याय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

1. **न्याय का प्रथम स्थान (First Place of Justice)**: राल्स का कहना है कि उत्तम समाज के बहुत से गुण होते हैं लेकिन न्याय को समाज का सर्वोत्तम गुण माना जाता है। न्याय की अवहेलना से समाज कल्याण को धक्का पहुंचता है और समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ जाता है।
2. **वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण (Judicious Distribution of Primary Goods)**: राल्स (Rawls) उदार लोकतन्त्र के पक्ष में है और इसमें स्वतन्त्रताएँ और अधिकार प्राप्त होते हैं। वह इन स्वतन्त्रताओं और अधिकारों को प्राथमिक वस्तुओं (Primary Goods) का समाज में न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख (Greatest good of the greater number) को ठीक नहीं मानता। इसलिए प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए अर्थात् स्वतन्त्रता, अधिकार, आय, सम्पत्ति, शक्तियों और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण हो।
3. **अवसरों की समानता (Equality of Opportunity)**: राल्स के न्याय के सिद्धान्त को अन्य विशेषता है अवसरों की समानता। राल्स पूँजीवाद का समर्थक था। जिसमें उन्हें उद्योग व कारखाने समानता के आधार पर चलाने काद मौका मिलता है। लेकिन सरकार द्वारा उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। सरकार को ऐसे अवसर

प्रदान करने चाहिए कि जिसमें (1) बाजार पूरी तरह प्रतियोगी (Cooperative) बना रहे अर्थात् वस्तुएँ माँग व पूर्ति के आधार पर बाजार में बिके।

क) भौतिक साधनों (Material Resources) का सर्वोत्तम प्रयोग (Optimum use) होना चाहिए।

ख) सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। (Decentralisation of Private Property)

ग) लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए (Basic needs of people must be fulfilled)

घ) सभी को उन्नति करने के समान अवसर मिलें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। (Equal opportunity to education and progress)

4. **आय का वितरण (Distribution of Income)**: राल्स पूँजीवाद के पक्ष में थे। राल्स की यह मान्यता है कि लोग अपने विशेष निपुणता के कारण जिस सम्पत्ति का उपार्जन करते हैं उस पर अकेले व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है बल्कि सारे समाज का है। क्योंकि उसकी सफलता में परिवार व समाज का भी हाथ है। इसलिए आय व संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि जिससे सामूहिक हितों की पूर्ति सम्भव हो सके। पूँजीपति वर्ग की आय का एक हिस्सा जो आयकर सम्पदा कर सीमा शुल्क व अन्य करों के रूप में प्राप्त होता है। उसके देश की सुरक्षा, शान्ति व व्यवस्था यातायात व संचार आदि पर खर्च किया जाता है। लेकिन राल्स यह चेतावनी देता है कि पूँजीपतियों पर उचित ढंग से कर लगाये जाएं। उद्योगपतियों पर इतने भारी कर न लगाए जाएं कि वह उनकी उद्यम की रूचि को प्रभावित करे। वह चाहता है कि करदाताओं से उतना ही कर लिया जाए जिससे उसकी धन कमाने की रूचि में कमी न आए इससे समाज के दोनों वर्गों पूँजीपतियों व साधारण वर्ग का भला होगा।

5. **क्षतिपूर्ति का अवधारणा (Concept of Redress)**: राल्स स्वतन्त्रता व समानता और अवसरों की समानता के सिद्धान्त की बात करता है कि राज्य का यह कर्त्तव्य है कि धन का न्यायिक वितरण होना चाहिए। राल्स दरिद्रों में भी दरिद्र (Poorest of the poor) की सहायता करना चाहता है। जैसे अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएँ, बेकार, अपंग असहाय वृद्ध आदि को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की भाषा में मलाईदार परत (Creamy Layer) का हवाला दिया जा सकता है। राल्स के अनुसार, समाज एक माला के समान है और अमीर गरीब उसकी कड़ियाँ है। माला की यदि एक कड़ी कमजोर हो जाए जो माला टूट जाती है। इसलिए माला की कमजोर से कमजोर कड़ी की मजबूत करता है। इससे दरिद्रों का विकास होगा।

6. **लोकतन्त्र का समर्थक (Supports Demoracy)**: राल्स उदारवादी लोकतन्त्र का समर्थक है। वह लोगों की भिन्न प्रकार की स्वतन्त्रताएँ देने को ही न्याय मानता है। विभिन्न स्वतन्त्रताओं में विचारों की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति की स्वतन्त्रता विवाह व परिवार स्थापित करने का अधिकार शामिल है। इन स्वतन्त्रताओं को कार्य रूप देने के लिए लोकतन्त्र का होना अनिवार्य है। इसलिए राल्स संवैधानिक लोकतन्त्र (Constitutional Democracy) का समर्थक है।

आलोचना

(Criticism)

राल्स के न्याय के सिद्धान्त की आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित हैः–

मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना (Criticism of Marxists)

मार्क्सवादियों ने राल्स के सिद्धान्त की आलोचना की है उनमें मिल्टन फिस्क (Milton Fisk) व रिचर्ड मिल्टन (Richard Milton) के नाम से प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने निम्न आधार पर आलोचना की है–

पूँजीवाद के विरोधी (Against Capitalism)

राल्स ने पूँजीवाद का समर्थन किया है। पूंजीवाद के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए मार्क्सवादी राल्स के सिद्धान्त की आलोचना करते हैं।

वर्ग–संघर्ष का समर्थक नहीं (Against Class Struggle)

वह समाज के वर्ग स्वरूप को नहीं मानता। मार्क्सवादी राल्स की इस विचारधारा की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समाज वर्ग भेद पर ही आधारित है।

उदारवादियों द्वारा आलोचना (Criticism by Liberals)

मार्क्सवादियों की तरह उदारवादियों ने भी राल्स के न्याय सिद्धान्त की आलोचनाकी है। वे इसे बुद्धिसंगत व वैज्ञानिक (Lacks Logic or reason) नहीं मानते।

1. **सामाजिक समझौते की परिकल्पना (Social Contract Utopia)**: उदारवादियों ने राल्स की सामाजिक समझौते की परिकल्पना को गलत माना है।
2. **असमानताएँ (Inequalities)**: पूंजीवादी समाज में असमानताएँ आवश्यक ही रहेंगी।

मूल्यांकन (Evaluation of Rawls Theory of Justice)

राल्स के सिद्धान्त की मार्क्सवादियों और उदारवादियों द्वारा आलोचना की गई। लेकिन फिर भी राल्स के सिद्धान्त की महत्ता है। उसका वर्णन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

1. **परिवर्तनः** राल्स के न्याय सिद्धान्त में इस बात का महत्व है कि वह परिवर्तन चाहता है। वह समाज में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन चाहता है।
2. **समन्वय (Coordination)**: दूसरी महत्ता यह है कि वह समाजवाद व पूँजीवाद में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में है।
3. **हीन स्थिति (Lowest Class)**: राल्स के सिद्धान्त की महत्ता इस बात से है कि वे हीन स्थिति वाले व्यक्तियों के कल्याण पर जोर देता है।
4. **लोकतन्त्र का समर्थक (Supporter of Democracy)**: वह लोकतन्त्र का समर्थक है। उसका न्याय का सिद्धान्त उदारवाद व लोकतन्त्र के सिद्धान्त से मेल खाता है।

2.6.9 निष्कर्ष

हमने जो अब तक देखा वह यह छाप छोड़ता है कि न्याय अनिवार्यतः एक नियामक संकल्पना है, जिसका स्थान अनेक क्षेत्रों में है, जैसे धर्म, नीतिशास्त्र एवं कानून, यद्यपि इसके शाखा–विन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र आते हैं। न्याय चाहता है कि एक न्याय संगत आधार पर मूल्यों का विभेदीकरण। विभिन्न सिद्धान्त इनकी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय लोगों की आवश्यकताओं पर जोर देता है।

2.6.10 मुख्य शब्दावली

- बन्धुत्व
- कानूनी पक्ष
- अभिव्यक्ति
- वितरणात्मक न्याय
- मार्क्सवाद

2.6.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. न्याय की धारणा का क्या अर्थ है? न्याय के विभिन्न पक्षों की संक्षिप्त व्याख्या करें।
(What is meant by the concept of Justice? Discuss briefly the various dimensions of Justice.)

2. वैधानिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन सी है?
(What do you mean by legal Justice? What are its cheif characteristics?)

3. राजनीतिक न्याय के अर्थों की व्याख्या करे। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए कौन सी व्यवस्थाएँ होना अनिवार्य है?
(Explain the meaning of Political Justice. Which provisions are essential for the attainment of political justice?)

4. सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
(What do you mean by Social Justice? How it can be recured?)

5. आर्थिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार विश्वसनीय बनाया जा सकता है?
(What is meant by Economic Justice? How it can be ensured?)

6. जान राल्स की वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
(Critically examine John Rawls Theory of Distributive Justice.)

2.6.12 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.